रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938
No. 298] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ ASADHA 29 , 1938

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 15 जुलाई, 2016

सं. भा.स.वि. / मुख्यालय / प्रशा. / अधिसूचना / 2016.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22वां) की धारा 47 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :

2014 का अध्यादेश 03

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स. 2014 – 29–15 दि 31-10-2014 के तहत]

शिक्षक, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा प्रविष्टि आदेश जारी करने के सक्षम प्राधिकारी

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को स्थानांतरण तथा प्रविष्टि आदेश जारी करने हेतु निम्न अधिकारी सक्षम हैं:

क्रम सं	सक्षम प्राधिकारी	निम्न का स्थानांतरण तथा प्रविश्टि के लिए आदेश जारी कर सकता है
1.	कुलपति	नियमित तौर पर नियुक्त परिसर निदेशक, प्रोफसर, असोसियेट प्रोफसर तथा सहायक प्रोफसर, ठेके आधार पर नियुक्त **शिक्षक**, नियमित तौर पर नियुक्त **वर्ग** 'ए' अधिकारी (जैसे सहायक कुलसचिव तथा उससे उच्च रैंक के गैर–शिक्षण कर्मचारी); परिसर के अधीन– संविदा आधार पर नियुक्त गैर–शिक्षण कर्मचारी; एक परिसर से दूसरे परिसर, मुख्यालय से दूसरे परिसर में तथा उसके विपरीत।
2.	कुलसचिव	नियमित तौर पर नियुक्त **वर्ग** 'बी' और **वर्ग** 'सी' के अधिकारी (प्रभागीय अधिकारी और उससे निचले रैंक का गैर–शिक्षण कर्मचारी) – एक परिसर से दूसरे परिसर और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय से तथा उसके विपरीत ।

3.	परिसर निदेशक	नियमित तौर पर नियुक्त **वर्ग** 'बी' तथा **वर्ग** 'सी' अधिकारी (जैसे अनुभाग अधिकारी तथा उनसे निम्न रैंक के गैर–शिक्षण कर्मचारी) और ठेके आधार पर नियुक्त गैर–शिक्षण अधिकारियों को परिसर के अधीऩ

कुलपति को लिखित रूप में दर्ज वैध कारण द्वारा, रजिस्ट्रार या एक परिसर निदेशक द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधन करने, संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति है।

सक्षम प्राधिकारी उनके आवंटित सीमा के भीतर, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए तबादलों और नियुक्तियों को लागू कर सकते हैं – चाहे वह 14.11.2008 के बाद नियुक्त किया गया है (जब भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय बनाया गया था) या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 49 के आधार पर हस्तांतरित किया गया है (मानित प्रतिनियुक्ति सहित)।

2015 का अध्यादेश 22

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-31-34 दिनांक 26-06-2015 के तहत]

[संशोधन का.प. 2016-34-19 दिनांक 23-05-2016 के तहत]

समुद्री अध्ययन के स्कूल में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियमावली

पद का नाम	सहायक प्रोफेसर
पदों की संख्या	18
वर्गीकरण	शिक्षक
वेतनमान	वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु.6,000 । सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे । अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.8,000 के लिए पात्र होंगे । प्रबंधन स्तर में, दस अग्रिम वेतनवृद्धि की सीमा के तहत, समुद्री सेवा में प्रत्येक दो वर्ष के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किया जाएगा।
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं ।
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	43 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	आवश्यक: (क) मास्टर (विदेश गमन) योग्यता का प्रमाण पत्र ; (ख) नौकायन में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव ; तथा (ग) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । प्रासंगिक अनुशासन में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है । बशर्ते कि 31/12/2017 तक भर्ती उद्देश्य के लिए, 01/01/2014 से पहले प्राप्त किया हुआ योग्यता का अतिरिक्त मास्टर प्रमाणपत्र भर्ती प्रयोजनों के लिए ही पीएचडी के समकक्ष माना जाएगा ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
परीवीक्षणावधि, यदि कोई हो	दो साल

भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं ।
चयन समिति की संरचना क्या है ?	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ—साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
टिप्पणी	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन—ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविश्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. पी.एच.डी. संबंधित विशय में है कि नहीं, इसपर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा 3. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 4. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

नोट : दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 6 को इसके द्वारा *निरस्त किया जाता है।*

2015 का अध्यादेश 15

[कार्यकारी समिति संकल्प सं. का स. 2015—31—26, दि. 26—06—2015 के तहत]

[संशोधन का.प. 2016-34-18 दिनांक 23-05-2016 के तहत]

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों का पुनःमूल्यांकन, पुनः अंक गिनती, कृपांक प्रदान करना तथा उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि जारी करना

1. पुनःमूल्यांकन

1.1 उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन के लिए आवेदन को, **पोस्ट ग्रेजुएट** परीक्षाएँ, प्रायोगिक परीक्षाएँ क्षेत्रीय कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, पत्र के बदले शोध प्रबंधन समर्पण और परीक्षाएँ जहाँ दो स्वतंत्र (दोहरा) मूल्यांकनों के लिए प्रावधान है, के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए ही विचार किया जाएगा।

1.2 पुनःमूल्यांकन के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जाना है और उसे संबंधित परिसर/ कॉलेजों के जरिये भेजना है।

1.3 पुनः मूल्यांकन के लिए तभी अनुमति दिया जाएगा, जब परीक्षा सत्र के दौरान, विद्यार्थी द्वारा लिखित कुल पत्रों की संख्या में से पाँच से अधिक पत्रों में अनुत्तीर्ण नहीं होंगे।

1.4 अनुत्तीर्ण पत्र में पुनः मूल्यांकन के लिए प्रति पत्र के लिए रु. 500/– शुल्क वसूला जाएगा। अगर प्रश्न पत्र के विभिन्न भागों के प्रश्नों के लिए विभिन्न उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखा गया है तो ऐसे सभी उत्तर पुस्तिकाओं को एक इकाई/ पत्र के रूप में माना जाएगा। एसबीआई –कोर बैंकिंग चालान या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य तरीके से शुल्क को जमा किया जाएगा।

1.5 पुनःमूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किये जाने के अलावा, परिणाम की प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अन्दर परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुँचना है।

1.6 किसी भी परिस्थिति में निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन पत्रों को तथा संबंधित दस्तावेज संलग्न न किये गये आवेदनों को किसी भी कारण बताये बिना अस्वीकार किया जाएगा।

1.7 एक बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जमा किये गये शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।

1.8 अगर प्रथम के तुलन में पुनःमूल्यांकन में विद्यार्थी कम अंक पाता है तो, वास्तविक अंक को ही रखा जा सकता है फिर भी, पुनःमूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद भी, विद्यार्थी परिणाम की स्थिति में बदलाव नहीं है तो, वास्तविक अंकों को वैसे ही बनाए रखा जाएगा और परिणाम को 'कोई परिवर्तन नहीं' घोषित किया जाएगा।

1.9 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रत्येक विषय के लिए पाँच वर्षों से अधिक शिक्षण/ उद्योग अनुभववाले विषय विशेषज्ञों का पेनल तैयार करना है और उसे कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है। इस पेनल को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षण करना है।

1.10 प्रथम मूल्यांकन जिस परीक्षक द्वारा किया गया था, उन्हीं के द्वारा पत्र को पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाना है ।

1.11 पाठयक्रम जहाँ एक मात्र परिसर/ कॉलेज में आयोजित किया जाता है उसके अलावा, पत्र के लिए पूर्व में विद्यार्थी जहाँ पढा है, उस कॉलेज/ परिसर के किसी परीक्षक द्वारा पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाना है।

1.12 प्रति सत्र के लिए 25 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए परीक्षक को नहीं देना है।

1.13 अगर उत्तर पुस्तिकाओं के 20 प्रतिशत से अधिक में, पुनमूल्यांकन में अंकों की घटाव या चढाव होता है तो सही माध्यम के जरिये संबंधित परीक्षक से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा और उत्तर को आगे की कार्यवाही के लिए कुलपति के सामने पेश किया जाएगा।

1.14 इन मार्गदर्शिकाओं के अधीन, परीक्षक जिनके विरुद्ध कार्यवाही लिया गया है, उनकी सूची का रखरखाव उप कुलसचिव द्वारा किया जाएगा। ऐसे हटाये गये परीक्षकों को, 3 वर्ष की अवधि के लिए, किसी परीक्षा के संबंध में नियुक्ति के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

1.15 जहाँ प्रथम और द्वितीय मूल्यांकन के बीच 100 में से 15 अंकों से अधिक विविधता होगी, उत्तर पुस्तिका को तृतीय मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। अंतिम अंक 'तृतीय मूल्यांकन का औसत और प्रथम तथा द्वितीय मूल्यांकन के बीच निकटतम' होगी।

1.16 पुनः मूल्यांकन परिणामों को, आवदनों की प्राप्ति की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रकाशित किया जाएगा।

1.17 पुनः मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों को अति गोपनीय माना जाएगा और इसलिए इसपर अंतरित प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.18 पुनः मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रदान किया जाएगा।

1.19 परिसर/ कॉलेज के निदेशक/ प्राध्यापक को, परीक्षा नियंत्रण द्वारा आबंटित तारीख और दिन पर प्राथमिकता आधार पर (पुनःमूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती सम्मिलित करके) परीक्षकों को उपलब्ध कराना है।

1.20 संबद्ध कॉलेजों के अध्यापकों को, मूल्यांकन (पुनःमूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती सम्मिलित करके) प्राथमिकता देकर कार्य करना है। अगर, संबद्ध कॉलेज का प्राध्यापक, मूल्यांकन (मूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती) के लिए अध्यापक को रिलीव करने से चूकता है या अध्यापक मूल्यांकन (मूल्यांकन/ पुनः अंक गिनती सम्मिलित करके) कार्य में उपस्थित होने से चूकता है, तो, संबंधित अध्यापकों पर तीन वर्षों के लिए रोक लगाया जाएगा। इसका कॉलेज की संबद्धता जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।

2. पुनः अंक गिनती

2.1 प्रायोगिक परीक्षा, क्षेत्रीय कार्य, आंतरिक मूल्यांकन व पत्र के बदले में समर्पित शोध पुस्तिकाओं के अलावा उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः अंक गिनती के लिए आवेदन, **ग्रेजुएट** परीक्षाएँ, **पोस्ट ग्रेजुएट** परीक्षाएँ, की पुनः अंक गिनती के लिए विचार किया जाएगा।

2.2 पुनः अंक गिनती के लिए आवेदन, निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा और इसे संस्था के संबंधित अध्यक्ष के जरिये भेजना है।

2.3 पुनः अंक गिनती के लिए, प्रति पत्र के लिए रु. 250/– शुल्क प्रभारित किया जाएगा। भारतीय समुद्रीय विद्यालय के एसबीआई–कोर बैंकिंग चालान के जरिये ही इस शुल्क को जमा किया जाएगा।

2.4 उत्तर पुस्तिकों की पुनः अंक गिनती के लिए, एक बार जमा किये गये शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।

2.5 पुनः अंक गिनती संबंधित सभी कार्यों को अति गोपनीय माना जाएगा और इसलिए इससे संबंधित अंतरिम प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.6 पुनः अंक गिनती संबंधित आवेदन पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किये जाने पर, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अन्दर, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में पहुँचना है।

2.7 परीक्षा नियंत्रक द्वारा नामित **शिक्षक** द्वारा पुनः अंक गिनती किया जाएगा।

2.8 पुनः अंक गिनती अंकों को अंतिम अंक के रूप में लिया जाएगा और वास्तविक मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक को बदला जाएगा और इसके अनुसार परिणाम को घोषित किया जाएगा।

2.9 अगर पुनः अंक गिनती अंक वही है या वास्तविक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों से कम है तो, घोषित परिणामों का स्तर नहीं बदलेगा।

2.10 आवेदन पत्रों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर पुनः अंक–गिनती परिणामों को प्रकाशित किया जाना है।

3. कृपांक

3.1 सभी सत्रों में एक या अधिक प्रपत्रों में 5 अंक तक कृपांक दिया जा सकता है। इसका निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया जाएगा।

4. प्रतिलिपियों को जारी करना

4.1 उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि, पृष्ठों की संख्या पर ध्यान न देते हुए, डाक खर्च सम्मिलित करके **रु. 80/–** फ्लेट शुल्क भुगतान करने पर, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा।

4.2 परीक्षा परिणाम प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अन्दर आवेदन किया जाना है।

4.3 भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के एसबीआई–कोर बैंकिंग चालान के जरिये शुल्क को जमा किया जाएगा।

2015 का अध्यादेश 19

[कार्यकारी समिति संकल्प सं.का स. 2015–31–30, दि. 26–06–2015 के तहत]

[संशोधन का.प. 2016-34-18 दिनांक 23-05-2016 के तहत]]

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर तथा संबद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएँ, पदवीदान तथा कई अन्य उद्देश्यों के लिए शुल्क

क्रम सं	विवरण	प्रस्तावित शुल्क (रु.)
अ) परीक्षा तथा अन्य संबंधित शुल्क		
(I) ग्रेजुएट पाठ्यक्रम (सत्रांत व गैर–सत्रांत प्रणाली)		
(i)	प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र	300 500 (अरियर पत्र के लिए)
(ii)	प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा – 3 घंटे	200 300 (अरियर पत्र के लिए)
(iii)	परियोजना कार्य	500
(II) पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम		
(i)	प्रत्येक लिखित पत्र	400 500 (अरियर पत्र के लिए)

(ii)	प्रत्येक प्रायोगिक	200 300 (अरियर पत्र के लिए)
(iii)	शोध प्रबंधन/ परियोजना	500
(iv)	मौखिक	250
(III)	**डिप्लोमा पाठ्यक्रम**	
	प्रत्येक लिखित पत्र/ प्रायोगिक	200 300 (अरियर पत्र के लिए)
(IV)	**प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम**	
(i)	पाठ्यक्रम परीक्षाओं में प्रमाण पत्र	
	प्रत्येक लिखित पत्र	150 200 (अरियर पत्र के लिए)
(V) परीक्षाओं से संबंधित अन्य शुल्क		
(i)	पृष्ठ संख्या पर ध्यान न देते हुए, प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए	80
(ii)	प्रत्येक उत्तर–पुस्तिका अंक गिनती	250
(iii)	प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पुनःजाँच शुल्क	500
(iv)	प्रत्येक उपस्थिति के लिए, प्रत्येक परीक्षा हेतु अंक तालिका जारी करने के लिए	150
(v)	प्रत्येक उपस्थिति के लिए, प्रत्येक परीक्षा हेतु अंक तालिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए	200 + रु.100 प्रत्येक विगत वर्ष के लिए खोज शुल्क
(vi)	समेकित अंक तालिका	500
(vii)	अस्थाई प्रमाण पत्र	250
(viii)	अस्थाई प्रमाण पत्र – प्रतिलिपि	500
(ix)	ट्रान्स्क्रिप्ट शुल्क	
	एक प्रति	500
	प्रत्येक अतिरिक्त प्रति	300
(x)	शोध प्रबंध की प्रस्तुति	
	पीएच.डी	2,000
	निम्न दण्ड शुल्क जमा करने पर, पीएच डी शोध प्रबंध को समर्पित करने के लिए समय विस्तार किया जाएगा:	
	निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, 12 महीने के अन्दर पीएच डी शोध प्रबंधन समर्पित करने के लिए दण्ड शुल्क	1,000
	निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, 36 महीने के अन्दर पीएच डी शोध प्रबंधन समर्पित करने के लिए दण्ड शुल्क	2,500
	निर्धारित अवधि की समाप्ति के 36 महीने के बाद पीएच डी शोध प्रबंधन समर्पित करने के लिए दण्ड शुल्क	5,000
आ) पदवीदान तथा अन्य संबंधित शुल्क		
	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पदवीदान समारोह में उपाधि जारी करने के लिए शुल्क	

IndiaCode

अ)	**ग्रेजुएट** उपाधि/ डिप्लोमा – व्यक्तिगत रूप से	500
आ)	**ग्रेजुएट** उपाधि/ डिप्लोमा – गैर हाजिरी में	500
इ)	**पोस्ट ग्रेजुएट** उपाधि/ डिप्लोमा – व्यक्तिगत रूप से	1,000
ई)	**ग्रेजुएट** उपाधि/ डिप्लोमा – गैर–हाजिरी में	1,000
उ)	पीएच.डी – व्यक्तिगत रूप से	2,000
ऊ)	पीएच डी – गैर–हाजिरी में	2,000
ए)	किसी अन्य **ग्रेजुएट** उपाधि/ डिप्लोमा प्रमाण पत्र	
	- व्यक्तिगत रूप से	500
	- गैर–हाजिरी में	500
ऐ)	उपाधि प्रतिलिपि	पदवीदान शुल्क + प्रत्येक वर्ष के लिए रु. 100/– **खोज** शुल्क
इ) प्रवेश पंजीकरण / काउन्सलिंग शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क		
(i)	प्रबंधन/ प्रायोजित विद्यार्थी तथा लेटरल **एंट्री** के जरिये द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थी सम्मिलित करके, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तथा संबद्ध संस्थाओं में प्रवेश लेनेवाले सभी नये विद्यार्थियों द्वारा, प्रवेश के समय एकमुश्त प्रवेश पंजीकरण/ काउन्सलिंग शुल्क जमा करना पडेगा।	10,000
(ii)	प्रबंधन/ प्रायोजित विद्यार्थी तथा लेटरल **एंट्री** के जरिये द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थी सम्मिलित करके, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तथा संबद्ध संस्थाओं में प्रवेश लेनेवाले सभी नये विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना पडेगा। यह विद्यार्थी से वसूली, कुल वार्षिक शुल्क का अंग होगा। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में, इस शुल्क को वसूल करके भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय में अंतरण करना परिसर/ संस्था की जिम्मेदारी होगी। नया पाठ्यक्रम तथा करिकुला विकसित करने, वर्तमान पाठ्यक्रम तथा करिकुला को उन्नयन/ विकसित करने, वेब–आधारित शिक्षण सामग्री तथा अन्य प्रवर्तनीय शिक्षण सामग्रियों को विकसित करने, ऐसे विकास/ उन्नयन में शामिल विभिन्न विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की ओर व्यय सम्मिलित करके सभी व्यय को वहन करने के लिए यह पाठ्यक्रम शुल्क वसूला जाता है।	
अ)	**पोस्ट ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट** डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रु. 25,000
आ)	**ग्रेजुएट**/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रु. 25,000
ई) अन्य शुल्क		
(i)	अनुपस्थिति के लिए क्षमादान शुल्क	2000
(ii)	अध्ययन में ब्रेक के लिए क्षमादान शुल्क	1 वर्ष के ब्रेक पर रु. 2000; 2 वर्ष के ब्रेक पर रु. 5,000; 3 वर्ष के ब्रेक पर रु. 9,000
(iii)	विश्वविद्यालय के अभिलेखों में या प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा में विद्यार्थियों के जन्म तिथि या नाम में परिवर्तन करवाने के लिए शुल्क	500
(iv)	प्रवसन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए	200

IndiaCode

(v)	प्रवसन प्रमाण पत्र प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए	300
उ) प्राश्निक तथा संबंधित गतिविधियों के लिए पारिश्रमिक		
(i)	प्रश्न पत्र तैयारी	
	- सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी)	2500
	- सीईटी के अलावा	1500
(ii)	उत्तर कुंजती की तैयारी	
	- सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी)	2500
	- सीईटी के अलावा	1500
ऊ) परीक्षा जिम्मेदारियों के लिए पारिश्रमिक		
(i)	फ्लाइंग स्कवाड	1500 प्रति दिन
(ii)	मुख्य अधीक्षक	1500*
(iii)	पर्यवेक्षक (**वर्ग** ए)	1500* प्रति दिन
(iv)	पर्यवेक्षक (**वर्ग** बी और सी)	1250* प्रति दिन
(v)	निरीक्षण / हॉल अधीक्षक (प्रति सत्र) – प्रत्येक 25 विद्यार्थियों के लिए	500 प्रति सत्र
(vi)	समर्थन लेखक – प्रत्येक 100 विद्यार्थियों के लिए	200 प्रति दिन
(vii)	सहायक – प्रत्येक 100 विद्यार्थीयों के लिए	100 प्रति दिन
(viii)	प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक (अभिलेख व मौखिक सम्मिलित करके)	15 प्रति विद्यार्थी – प्रत्येक आंतरिक तथा बाह्य परीक्षक
(ix)	शोध प्रबंध / शोध निबंध और मौखिक के लिए परीक्षक पारिश्रमिक	
	पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम	शोध प्रबंध के लिए प्रत्येक परीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी रु. 150 और मौखिक के लिए रु. 50
	पीएच.डी.	प्रत्येक बाह्य परीक्षक के लिए 1,000
ए)	**मूल्यांकन तथा संबंधित कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक**	
(i)	सह समन्वयक / अध्यक्ष	1000 प्रति दिन (प्रत्येक **सेमेस्टर** अधिकतम रु. 5000 / –)
(ii)	मूल्यांकन पारिश्रमिक	प्रति उत्तर पुस्तिका के लिए रु. 50 (प्रति **सेमेस्टर** के लिए 25 उत्तर पुस्तिकाएँ या प्रति दिन 50 उत्तर पुस्तिकाएँ)
(iii)	समर्थन देनेवाले लेखक	200 प्रति दिन
(iv)	सहायक	100 प्रति दिन

()*अगर एक विशिष्ट परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देनेवाले विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है तो, देय पारिश्रमिक को 50 प्रतिशत कम किया जाएगा ।

नोट: दिनांक 28 जनवरी 2010 को भारत के राजपत्र संख्या 38 में प्रकाशित प्रकाशन 'अध्याय III** विभिन्न परीक्षाओं के लिए तथा अन्य विभिन्न सामान्य विषयों के लिए अनुसूचित शुल्क' **को निरस्त किया जाता है।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 24

[कार्यकारी **परिषद्** *संकल्प सं. का. प. 2015—31—34* **दिनांक** *26—06—2015 के तहत]*

[संशोधन का.प 2015-33-06-.दिनांक 2015-12-23 के तहत]

नॉटिकल अध्ययन स्कूल में प्रोफसर पद के लिए भर्ती नियमावली

(1)	पद का नाम	प्रोफसर
(2)	पदों की संख्या	7
(3)	वर्गीकरण	**शिक्षक**
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड—4; रु. 37,400-67,000, अ.प.वे रु. 10,000 के साथ प्रबंधन स्तर में समुद्री सेवा के प्रत्येक चार वर्षों के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि बशर्ते कि सहायक प्रोफसर/असोसियेट प्रोफसर के रूप में **भर्ती** के समय इस लाभ को उठाया नहीं गया हो।
(5)	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	**सीधी भर्ती** के लिए लागू नहीं । पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा ।
(6)	**सीधी भर्ती** के लिए आयु सीमा	58 वर्ष से अधिक नहीं (2 साल रियायत दी जा सकती है/ कुलपति के माध्यम से)
(7)	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य:** वर्ग I : पी.एच.डी. के साथ मेराइनर्स से अ. नौकायन में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव के साथ मास्टर (विदेश गमन) योग्यता का प्रमाण पत्र ; और आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पी.एच.डी. उपाधि बशर्ते कि 31/12/2017 तक भर्ती उद्देश्य के लिए, 01/01/2014 से पहले प्राप्त किया हुआ योग्यता का अतिरिक्त मास्टर प्रमाणपत्र भर्ती प्रयोजनों के लिए ही पीएचडी के समकक्ष माना जाएगा ; और इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम पन्द्रह वर्षों का अनुभव (i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (अ) में निर्धारित निम्नतम छः महीनों के अलावा) (ii) मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में नॉटिकल विज्ञान शिक्षण देने के लिए (iii) जहाजरानी महानिदेशालय या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकृत सोसाइटी में नॉटिकल सर्वेक्षक (iv) विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक v) मुख्य बंदरगाह में पाइलेट

IndiaCode

		ई. प्रकाशन के रूप में निम्नतम तीन पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित **पत्रिकाओं** में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र *वांछनीय :* **स्नातकोत्तर** या पी.एच.डी. में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन **[या]** *वर्ग* II – पी.एच.डी. *के साथ असोसियेट प्रोफसरों से* अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पी.एच.डी. उपाधि और आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में नॉटिकल विज्ञान में असोसियेट प्रोफसर के रूप में चार वर्षों का अनुभव इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र *वांछनीय :* **पोस्ट ग्रेजुएट** या पी.एच.डी. स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन
(8)	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
(9)	परीवीक्षणावधि अगर हो तो	**सीधी भर्ती** के लिए 2 वर्ष
(10)	**भर्ती** का तरीका	**सीधी भर्ती**/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश वह अभ्यर्थी जिसने प्रतिनियुक्ति पर प्रोफसर के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है समावेश के लिए अर्ह है।
(11)	पदोन्नति के प्रकरण में, ग्रेड जिससे किया जाना है	अ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में प्रदत्त पी.एच.डी. उपाधि ; और आ. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में असोसियेट प्रोफसर के रूप में छः वर्षों का अनुभव इ. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य का प्रमाण और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/नीति प्रपत्र ई. संतोषजनक निष्पादन तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन *वांछनीय :* **स्नातकोत्तर** या पी एचडी स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन
(12)	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे : (i) कुलपति (ii) उपकुलपति (iii) आगन्तुक के एक नामिती (iv) अगर प्रोफसर हो तो, संबंधित विभाग के प्रमुख (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफसर नामित किया जाएगा (vi) प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि

IndiaCode

		के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले तीन व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न चारों में से कम से कम किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक के नामिती, साथ—साथ, कार्यकारिणी समिति के तीन नामिती ।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन—ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. निम्न में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाले निर्णय अंतिम रहेगा - (i) पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नहीं, और (ii) जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी या समुद्री प्रशिक्षण संस्था में अनुभव को हिसाब में लेना है कि नहीं (iii) संदर्भित जर्नलों में प्रकाशनों को स्वीकृत करना है कि नहीं तथा उन्हें क्या महत्व दिया जाना है 3. पूर्णकालीन पी.एच.डी. प्राप्त करने के लिए व्यतीत समय को, अर्हता सेवा हेतु हिसाब में नहीं लिया जाएगा। 4. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के उच्च आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। 5. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

नोट : दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 4 को इसके द्वारा *निरस्त किया जाता है।*

2015 का अध्यादेश 25

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं. का. प .2015—31—35 दि. 26—06—2015 के तहत]

[संशोधन का प. 2016-34-19, दिनांक 23-05-2016 के तहत]

समुद्री अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी स्कूल में सहायक प्रोफसर पद के लिए भर्ती नियमावली

(1)	पद का नाम	सहायक प्रोफसर
(2)	पदों की संख्या	24
(3)	वर्गीकरण	**शिक्षक**
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु. 6,000 सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे ।

		अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.8,000 के लिए पात्र होंगे। प्रबंधन स्तर में, दस अग्रिम वेतनवृद्धि की सीमा के तहत, समुद्री सेवा में प्रत्येक दो वर्ष के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किया जाएगा।
(5)	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं
(6)	सीधी **भर्ती** के लिए आयु सीमा	43 वर्षों से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
(7)	सीधी **भर्ती** के लिए आव''यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य:** (क) एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी ; (ख) नौकायन में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव ; तथा (ग) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । प्रासंगिक अनुशासन में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है । बशर्ते कि तक भर्ती 2017/12/31 उद्देश्य के लिए 2014/01/01 से पहले प्राप्त किया हुआ योग्यता का अतिरिक्त मास्टर प्रमाणपत्र भर्ती प्रयोजनों के लिए ही पीएचडी के समकक्ष माना जाएगा ।
(8)	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी ?	लागू नहीं
(9)	परीवीक्षणावधि अगर हो तो	2 वर्ष
(10)	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।
(11)	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
(12)	चयन समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा

IndiaCode

		नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ—साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन—ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नहीं, इसपर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा 3. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 4. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 6 को इसके द्वारा *निरस्त किया जाता है।*

2015 का अध्यादेश 32

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-31-41 दिनांक 26-06-2015 के तहत]

[संशोधन का प. 2016-34-05, दिनांक 23-05-2016 के तहत]

छात्रावास वार्डन के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	छात्रावास वार्डन
2.	पदों की संख्या	12
3.	वर्गीकरण	**वर्ग** सी
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800 ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी **भर्ती** के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल / भारतीय सेना/ भारतीय वायु सेना में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	सीधी **भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य :** 1 भारतीय नौसेना/ तटरक्षक **बल** से **नाविक** शाखा में **पेटी अफ़सर** (या) 2. भारतीय सेना से हवलदार या

		3. भारतीय वायु सेना में सारजेंट
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यताएं प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी ?	आयु : हाँ अन्य योग्यताएँ : हाँ
9	परीवीक्षणावधि अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती /प्रतिनियुक्ति/ समावेश के जरिये उम्मीदवारों का चयन एक कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। (कोई साक्षात्कार नहीं होगा)
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	**प्रतिनियुक्ति** : नियमित तौर पर अनुरूप पद वहन करने वाले व्यक्ति **समावेश** : प्रतिनियुक्तिकार जिन्होंने मातृसंस्था से सहमति प्राप्ति के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में वार्डन के रूप में संतोषजनक कार्य किया है और चयन समिति द्वारा उपयुक्तता मूल्यांकन के अधीन ।
12	चयन समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे (i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में (ii) संबंधित परिसर निदेशक (iii) कुलपति का एक नामिती
13	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष । प्रतिनियुक्तियों के लिए प्रायोजक विभाग/ संस्था से संबंधित आयु लागू होगी
14	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 33

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-31-41 दिनांक 26-06-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-24 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

पुस्तकालय सहायक पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पदनाम	पुस्तकालय सहायक
2.	पदों की संख्या	12
3.	वर्गीकरण	वर्ग बी
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-2 रु.9,300-34,800 के साथ प.वे. रु. 4,200।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन	गैर चयन पद

	पद है	
6.	**सीधी भर्ती** के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं योग्य मामलों में 2 साल से कुलपति से छूट
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	**अनिवार्य** 1. कम से कम 55 प्रतिशत या उसके समतुल्य **श्रेणी** के साथ पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में **स्नातक** उपाधि 2. विश्वविद्यालय/कॉलेज पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक या समतुल्य के रूप में दो वर्ष का अनुभव
8.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	**प्रतिनियुक्ति** आयु : हाँ शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हाँ **पदोन्नति** : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	मात्र **सीधी भर्ती के लिए** 2 वर्ष
10	**भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती** या पदोन्नति द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से **भर्ती** करने योग्य पदों का प्रतिशत	**सीधी भर्ती**/ प्रतिनियुक्ति द्वारा **उम्मीदवारों का चयन एक कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।** (**कोई साक्षात्कार** नहीं **होगा**)
11	पदोन्नति द्वारा **भर्ती** के प्रकरण में, पदोन्नति किस ग्रेड से किया जाना है	लागू नहीं
12	विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे i. कुलसचिव को अध्यक्ष के रूप में ii. दो सदस्य कुलपति द्वारा नामिती के रूप में
13	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
14	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 51 को इसके द्वारा *निरस्त किया जाता है।*

2015 का अध्यादेश 39

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-32-16 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-08 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

सहायक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सहायक
2.	पदों की संख्या	41

IndiaCode

3.	वर्गीकरण	अनुसचिवीय पद, ग्रुप 'सी'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए लागू नहीं। कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा ।
6.	**सीधी भर्ती** के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं योग्य मामलों में 2 साल से कुलपति से छूट
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक - किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत या उसके समतुल्य श्रेणी में स्नातक उपाधि वांछित-: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्यसाधक ज्ञान
8.	क्या पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	पदोन्नति: उम्र: कोई नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्रतिनियुक्ति: आयु: 40 वर्ष शैक्षिक योग्यता: हाँ समावेश : 43 वर्ष से अधिक नहीं । (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	मात्र सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति, क्या **सीधी भर्ती** या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति /समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से **भर्ती** करने योग्य पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा । सीधी भर्ती के लिए चयन एक कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा । (कोई साक्षात्कार नहीं होगा)। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और समावेश के मामले में ऑनलाइन कौशल परीक्षा आवश्यक नहीं है ।
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति /	पदोन्नति: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ 5 साल की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ सहायकों में से ।

IndiaCode

	प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	प्रतिनियुक्ति: नियमित आधार (या) पर एक अनुरूप पद धारक कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद के लिए किसी भी केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षिक / अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय / राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में रु.1,900 की प.वे. के साथ रु. 5,200-20,200 के वेतन बैंड में काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । समावेश : प्रतिनियुक्तिकार जिन्होंने मातृसंस्था से सहमति प्राप्ति के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक के रूप में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संतोषजनक कार्य किया है । प्रतिनियुक्ति / समावेश के मामले में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता लागू होगी ।
12	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना जहां भर्ती प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति या समावेश पर किया जाता है	i) कुलसचिव को अध्यक्ष के रूप में ii) दो सदस्य कुलपति द्वारा नामिती के रूप में
13.	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल। प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी जिसकी अधिकतम सीमा 60 वर्ष है ।
14.	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी । (iii) कुलपति डिवाइस एक उपयुक्त कंप्यूटर आधारित (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अधिकृत है

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 23 को इसके द्वारा *निरस्त किया जाता है।*

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 40

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-16 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-08 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

सहायक (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सहायक (वित्त)
2.	पदों की संख्या	26
3.	वर्गीकरण	अनुसचिवीय पद , ग्रुप 'सी'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु. 5,200-20,200 के साथ प.वे. रु. 2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश के लिए लागू नहीं। कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति के मामले में चयन द्वारा ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक : शैक्षिक योग्यता :किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या गणित या सांख्यिकी में कम से कम 50 प्रतिशत या उसके समतुल्य श्रेणी में स्नातक उपाधि वांछित:- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से लेखांकन सॉफ्टवेयर का कार्यसाधक ज्ञान
8.	क्या पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	पदोन्नति: शैक्षिक और अन्य योग्यता :किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या गणित या सांख्यिकी में कम से कम 50 प्रतिशत या उसके समतुल्य श्रेणी में स्नातक उपाधि प्रतिनियुक्ति: उम्र: 40 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक योग्यता: हां । समावेश: उम्र: 43 वर्ष से अधिक नहीं । (प्रतिनियुक्ति / समावेश मामलों में कुलपति द्वारा

		2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	मात्र सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति, क्या **सीधी भर्ती** या पदोन्नति या प्रतियुनिक्ति /समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से **भर्ती** करने योग्य पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा । सीधी भर्ती के लिए चयन एक कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा । (कोई साक्षात्कार नहीं होगा)। पदोन्ननति, प्रतिनियुक्ति और समावेश के मामले में ऑनलाइन कौशल परीक्षा आवश्यक नहीं है ।
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	पदोन्नति: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या गणित या सांख्यिकी स्नातक उपाधि के साथ वित्त एवं लेखा खण्ड में 5 साल की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ सहायकों में से । प्रतिनियुक्ति: वित्त एवं लेखा खण्ड में नियमित आधार (या) पर एक अनुरूप पद धारक कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद के लिए किसी भी केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षिक / अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय / राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में रु. 1,900 की प.वे. के साथ रु. 5,200-20,200 के वेतन बैंड में काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । समावेश : प्रतिनियुक्तिकार जिन्होंने मातृसंस्था से सहमति प्राप्ति के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक के रूप में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संतोषजनक कार्य किया है । प्रतिनियुक्ति/समावेश के मामले में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता लागू होगी ।
12	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना जहां भर्ती प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति या समावेश पर किया जाता है	(i) कुलसचिव को अध्यक्ष के रूप में (ii) दो सदस्य कुलपति द्वारा नामिती के रूप में
13.	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल। प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी जिसकी अधिकतम सीमा 60 वर्ष है ।

IndiaCode

14.	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी । (iii)कुलपति आधारित एक उपयुक्त कंप्यूटर वसीयत करने के लिए अधिकृत किया गया है (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा

2015 का अध्यादेश 41

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-16 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प.2015-33-06 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

आशुलिपिक/टंकक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	**आशुलिपिक/टंकक**
2.	पदों की संख्या	7
3.	वर्गीकरण	अनुसचिवीय पद, ग्रुप 'सी'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु. 2,400
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	उम्र: 30 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक : - शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएँ : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (ii) अंग्रेजी में आशुलिपि अवर / कनिष्ठ श्रेणी [प्रति मिनट 80 शब्द] (iii) टंकण उच्चतर / वरिष्ठ श्रेणी अंग्रेजी में [प्रति मिनट 45 शब्द]

		(iv) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवीणता । वांछनीय: - हिन्दी में टंकण.
8.	क्या प्रतिनियुक्ति/ समावेश के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	प्रतिनियुक्ति: उम्र: 40 वर्ष से अधिक नहीं शैक्षिक और तकनीकी योग्यता: हां । समावेश: उम्र: 43 वर्ष से अधिक नहीं । शैक्षिक और तकनीकी योग्यता: हां । (प्रतिनियुक्ति / समावेश मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	मात्र **सीधी भर्ती के लिए** 2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति, क्या **सीधी भर्ती** या पदोन्नति या **प्रतिनियुक्ति** /समावेश द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से **भर्ती** करने योग्य पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा । सीधी भर्ती के लिए चयन एक ऑनलाइन कौशल परीक्षा और टंकण एवं आशुलिपि में एक कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा । केवल वह व्यक्ति कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो ऑनलाइन कौशल परीक्षा में योग्य पाया जाता है (कोई साक्षात्कार नहीं होगा)। प्रतिनियुक्ति और समावेश के मामले में ऑनलाइन कौशल परीक्षा आवश्यक नहीं है ।
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	**प्रतिनियुक्ति** नियमित तौर पर अनुरूप पद वाले व्यक्ति या किसी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शिक्षा/ अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय/ राज्य सरकार या सरकारी उद्यम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में कार्यरत । **समावेश** प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में **आशुलिपिक/टंकक** के रूप में निम्नतम 3 वर्ष अवधि का संतोषजनक कार्य किया है, बशर्ते कि मातृ संस्था से स्वीकृति के साथ। अगर नियुक्ति हेतु पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो सेवा अर्हता में छूट प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी **परिषद** के पास सुरक्षित है।

12	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना जहां भर्ती प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति या समावेश पर किया जाता है	(i) कुलसचिव को अध्यक्ष के रूप में (ii) दो सदस्य कुलपति द्वारा नामिती के रूप में
13.	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल। प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
14.	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी । (iii) कुलपति आधारित एक उपयुक्त कंप्यूटर वसीयत करने के लिए अधिकृत किया गया है (ऑनलाइन) स्क्रीनिंग परीक्षा।

नोट: दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 24 को इसके द्वारा *निरस्त किया जाता है।*

indiacode

2015 का अध्यादेश 42

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प2016-34-36 . दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	4
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	1) 35 वर्ष से अधिक नहीं 2) भारतीय नौसेना/ **तटरक्षक बल** में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।

7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वर्षीय डिप्लोमा 3 (या) भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की विद्युत शाखा में पैटी ऑफिसर । वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	व्यावहारिक परीक्षण -सह- साक्षात्कार
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 43

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प2016-34-36 . दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

नौ-कौशल **प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	नौ-कौशल प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की नौ-कौशल शाखा में पैटी ऑफिसर ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ

IndiaCode

13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	शारीरिक योग्यता	उम्मीदवार शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना चाहिए । किसी भी प्रकार का भेंगापन, आंखों या पलकों में किसी भी रोग की हालत जो कि ट्रेकोमा और आइरिस संकलन का दबाव बढ़ने या पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी है, नहीं होना चाहिए । उम्मीदवार की अच्छी दूर दृष्टि (विलय सम्बंधित और दोनों आंखों में दृष्टि का पूरा क्षेत्र) होनी चाहिए । आंखों की गतिविधि सभी दिशाओं में पूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक आँख की दृष्टि 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए । उपनेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक आँख की दृष्टि 2.5 से अधिकता/न्यूनता की हालत में स्वीकार्य नहीं है । दोनों आंखों में बिन सहायता दृष्टि न्यूनतम 6/12 या एक आँख 6/9 और अन्य नेत्र में न्यूनतम 6/12 होना चाहिए। ISHIARA परीक्षण चार्ट द्वारा जांच पर दोषपूर्ण रंग दृष्टि अयोग्यता है।
15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
16	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 44

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प2016-34-36 . दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

नौचालन **प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	नौचालन प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'

4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। अन्य के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की नौ-कौशल शाखा (रडार प्लॉटर रेटिंग) में पैटी ऑफिसर या निकट तटीय यात्रा (NCV) से नेविगेट घड़ी अधिकारी (NWKO) । वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की नौ-कौशल शाखा (रडार प्लॉटर रेटिंग) में पैटी ऑफिसर में से सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	शारीरिक योग्यता	उम्मीदवार शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की चिकित्सा जरूरतों

IndiaCode

		को पूरा करना चाहिए । किसी भी प्रकार का भैंगापन, आंखों या पलकों में किसी भी रोग की हालत जो कि ट्रेकोमा और आइरिस संकलन का दबाव बढ़ने या पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी है, नहीं होना चाहिए । उम्मीदवार की अच्छी दूर दृष्टि (विलय सम्बंधित और दोनों आंखों में दृष्टि का पूरा क्षेत्र) होनी चाहिए । आंखों की गतिविधि सभी दिशाओं में पूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक आँख की दृष्टि 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए । उपनेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक आँख की दृष्टि 2.5 से अधिकता/न्यूनता की हालत में स्वीकार्य नहीं है । दोनों आंखों में बिन सहायता दृष्टि न्यूनतम 6/12 या एक आँख 6/9 और अन्य नेत्र में न्यूनतम 6/12 होना चाहिए। ISHIARA परीक्षण चार्ट द्वारा जांच पर दोषपूर्ण रंग दृष्टि अयोग्यता है।
15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
16	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 45

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प2016-34-36 . दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

नौसेना वास्तुकला प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	**नौसेना वास्तुकला** प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद

6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	1) 35 वर्ष से अधिक नहीं 2) भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा (या) ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से पोत निर्माण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (या) iii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (जहाज निर्माण और मरम्मत) (या) iv) भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की पोत निर्माता शाखा में पैटी ऑफिसर ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ

IndiaCode

13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 46

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प2016-34-36 . दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

जलगति विज्ञान और वायु-विद्या **प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमावली**

1	पद का नाम	जलगति विज्ञान और वायु-विद्या प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग / उत्पादन इंजीनियरिंग / ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: नहीं शैक्षिक **और अन्य योग्यताएं** : हाँ

9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 47

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

एप्लाइड यांत्रिक **प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	एप्लाइड यांत्रिक प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।

7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग / उत्पादन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 48

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

इंस्ट्रूमेंटेशन, स्वचालन और नियंत्रण इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	**इंस्ट्रूमेंटेशन, स्वचालन और नियंत्रण इंजीनियरिंग** प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से **इंस्ट्रूमेंटेशन / स्वचालन / नियंत्रण** इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति /	लागू नहीं

IndiaCode

	प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 49

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

ऊष्मप्रवैगिकी **और बॉयलर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन**

के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	ऊष्मप्रवैगिकी **और बॉयलर रसायन विज्ञान** प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।

7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 50

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

समुद्री भौतिकी प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	**समुद्री भौतिकी** प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में विज्ञान स्नातक वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।

IndiaCode

15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 51

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-36 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान) **पद के लिए भर्ती नियमावली**

1	पद का नाम	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होंगी	उम्र: नहीं शैक्षिक **और अन्य योग्यताएं** : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति

IndiaCode

11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	क्या एक विभागीय पदोन्नति समिति भर्ती समिति मौजूद हैं / और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

India Code

2015 का अध्यादेश 52

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-07 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-36 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी) **पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी)
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु. 2,400
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।

7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विज्ञान में स्नातक वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

LawMinCode

2015 का अध्यादेश 53

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-08 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-36 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

जुड़ाई और बुनियादी कार्यशाला **के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	जुड़ाई और बुनियादी कार्यशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'

4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	1) 35 वर्ष से अधिक नहीं 2) भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग / उत्पादन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा (या) भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखा में पैटी ऑफिसर । वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव ।
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।

		(ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **54**

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-08 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

समुद्री कार्यशाला (डीजल / पावर और रखरखाव) **के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमावली**

1	पद का नाम	समुद्री कार्यशाला (डीजल / पावर और रखरखाव) के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल में सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। अन्य के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: मर्चेंट नेवी से समुद्री फिटर (या) भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की समुद्री अभियांत्रिकी शाखा में पैटी ऑफिसर (या) निकट तटीय यात्रा (NCV) से चतुर्थ श्रेणी इंजीनियर
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं

12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	शारीरिक योग्यता	उम्मीदवार शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना चाहिए । किसी भी प्रकार का भेंगापन, आंखों या पलकों में किसी भी रोग की हालत जो कि ट्रेकोमा और आइरिस संकलन का दबाव बढ़ने या पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी है, नहीं होना चाहिए । उम्मीदवार की अच्छी दूर दृष्टि (विलय सम्बंधित और दोनों आंखों में दृष्टि का पूरा क्षेत्र) होनी चाहिए । आंखों की गतिविधि सभी दिशाओं में पूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक आँख की दृष्टि 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए । उपनेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक आँख की दृष्टि 2.5 से अधिकता/न्यूनता की हालत में स्वीकार्य नहीं है । दोनों आंखों में बिन सहायता दृष्टि न्यूनतम 6/12 या एक आँख 6/9 और अन्य नेत्र में न्यूनतम 6/12 होना चाहिए। ISHIARA परीक्षण चार्ट द्वारा जांच पर दोषपूर्ण रंग दृष्टि अयोग्यता है।
15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
16	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 55

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-08 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

मशीन शॉप **के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	मशीन शॉप के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	8
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'

4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग / उत्पादन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा और 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव (या) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आईटीआई शाखा में प्रमाणपत्र और 3 वर्षीय प्रासंगिक कार्य अनुभव
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होंगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 56

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-08 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

वेल्डिंग और गैस कटिंग कार्यशाला **के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	वेल्डिंग और गैस कटिंग कार्यशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,**4**00 ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा और 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव (या) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आईटीआई शाखा में प्रमाणपत्र और 3 वर्षीय प्रासंगिक कार्य अनुभव
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होंगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं

IndiaCode

12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 57

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-08 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

बॉयलर शॉप **के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती** नियमावली

1	पद का नाम	बॉयलर शॉप के लिए वरिष्ठ तकनीशियन
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,400।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रथम श्रेणी बॉयलर परिचर योग्यता प्रमाण पत्र वांछित: 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रासंगिक कार्य अनुभव
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : हाँ
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष

IndiaCode

10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
15	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

Indiacode

2015 का अध्यादेश 58

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-09 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-36 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

अग्निशमन प्रशिक्षक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	अग्निशमन प्रशिक्षक
2.	पदों की संख्या	3
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु. 2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।

7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की अभियांत्रिकी शाखा में पैटी ऑफिसर
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होंगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	शारीरिक योग्यता	उम्मीदवार शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना चाहिए । किसी भी प्रकार का भेंगापन, आंखों या पलकों में किसी भी रोग की हालत जो कि ट्रेकोमा और आइरिस संकलन का दबाव बढ़ने या पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी है, नहीं होना चाहिए । उम्मीदवार की अच्छी दूर दृष्टि (विलय सम्बंधित और दोनों आंखों में दृष्टि का पूरा क्षेत्र) होनी चाहिए । आंखों की गतिविधि सभी दिशाओं में पूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक आँख की दृष्टि 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए । उपनेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक आँख की दृष्टि 2.5 से अधिकता/न्यूनता की हालत में स्वीकार्य नहीं है । दोनों आंखों में बिन सहायता दृष्टि न्यूनतम 6/12 या एक आँख 6/9 और अन्य नेत्र में न्यूनतम 6/12 होना चाहिए। ISHIARA परीक्षण चार्ट द्वारा जांच पर दोषपूर्ण रंग दृष्टि अयोग्यता है।
15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।

16	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **59**

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-09 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-36 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

अग्निशमन हेल्पर **के पद के लिए भर्ती नियमावली**

1	पद का नाम	अग्निशमन हेल्पर
2.	पदों की संख्या	2
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.1,900।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ **तटरक्षक बल** में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: मर्चेंट नेवी /भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल से नाविक
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होंगी	उम्र: हाँ शैक्षिक **और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं**
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती **एक विषय विशेषज्ञ**

IndiaCode

13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	शारीरिक योग्यता	उम्मीदवार शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना चाहिए । किसी भी प्रकार का भेंगापन, आंखों या पलकों में किसी भी रोग की हालत जो कि ट्रेकोमा और आइरिस संकलन का दबाव बढ़ने या पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी है, नहीं होना चाहिए । उम्मीदवार की अच्छी दूर दृष्टि (विलय सम्बंधित और दोनों आंखों में दृष्टि का पूरा क्षेत्र) होनी चाहिए । आंखों की गतिविधि सभी दिशाओं में पूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक आँख की दृष्टि 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए । उपनेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक आँख की दृष्टि 2.5 से अधिकता/न्यूनता की हालत में स्वीकार्य नहीं है । दोनों आंखों में बिन सहायता दृष्टि न्यूनतम 6/12 या एक आँख 6/9 और अन्य नेत्र में न्यूनतम 6/12 होना चाहिए। ISHIARA परीक्षण चार्ट द्वारा जांच पर दोषपूर्ण रंग दृष्टि अयोग्यता है।
15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
16	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश **60**

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-09 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

'जीवन रक्षा क्राफ्ट और बचाव नाव (तेज बचाव नौकाओं से भिन्न) **में प्रवीण ' प्रशिक्षण अधिकारी (PSCRB)**

के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	**'जीवन रक्षा क्राफ्ट और बचाव नाव (तेज बचाव नौकाओं** से भिन्न) **में प्रवीण ' प्रशिक्षण अधिकारी (PSCRB)**

2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ख'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-2 रु.9,300-34,800 के साथ प.वे. रु.4,200 ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल में मुख्य पैटी ऑफिसर (या) निकट तटीय यात्रा (NCV) से फर्स्ट मेट
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और क्या इसकी संरचना है	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	शारीरिक योग्यता	उम्मीदवार शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना चाहिए । किसी भी प्रकार का भेंगापन, आंखों या पलकों में किसी भी रोग की हालत जो कि ट्रेकोमा और आइरिस संकलन का दबाव बढ़ने या पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी है, नहीं होना चाहिए । उम्मीदवार की अच्छी दूर दृष्टि (विलय सम्बंधित और दोनों आंखों में दृष्टि का पूरा क्षेत्र) होनी चाहिए । आंखों की गतिविधि सभी

IndiaCode

		दिशाओं में पूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक आँख की दृष्टि 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए । उपनेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक आँख की दृष्टि 2.5 से अधिकता/न्यूनता की हालत में स्वीकार्य नहीं है । दोनों आंखों में बिन सहायता दृष्टि न्यूनतम 6/12 या एक आँख 6/9 और अन्य नेत्र में न्यूनतम 6/12 होना चाहिए। ISHIARA परीक्षण चार्ट द्वारा जांच पर दोषपूर्ण रंग दृष्टि अयोग्यता है।
15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
16	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश **61**

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-09 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. **2016-34-36 दिनांक 23-05-2016** के *तहत*]

'जीवन रक्षा क्राफ्ट और बचाव नाव (तेज बचाव नौकाओं से भिन्न) **में प्रवीण '** प्रयोगशाला प्रशिक्षक **(PSCRB)**

के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	**'जीवन रक्षा क्राफ्ट और बचाव नाव (तेज बचाव नौकाओं** से भिन्न) **में प्रवीण'** प्रयोगशाला प्रशिक्षक **(PSCRB)**
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-1 रु.5,200-20,200 के साथ प.वे. रु.2,800।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भारतीय नौसेना/ तटरक्षक बल में सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं। अन्य के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।

7.	**सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ	आवश्यक: भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल की नाविक शाखा में पैटी ऑफिसर (या) निकट तटीय यात्रा (NCV) से द्वितीय मेट
8.	क्या प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक और **अन्य** योग्यताएँ लागू होगी	उम्र: हाँ शैक्षिक और अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9	परीवीक्षणावधि, अगर कुछ हो	2 वर्ष
10	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश / स्थानांतरण होगा	लागू नहीं
12	एक **विभागीय** पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद हैं और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति में निम्न होंगे i) कुलसचिव अध्यक्ष के रूप में ii) संबंधित परिसर निदेशक iii) कुलपति द्वारा नामिती एक विषय विशेषज्ञ
13	चयन की विधि	कौशल परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं होगा) ।
14	शारीरिक योग्यता	उम्मीदवार शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना चाहिए । किसी भी प्रकार का भेंगापन, आंखों या पलकों में किसी भी रोग की हालत जो कि ट्रेकोमा और आइरिस संकलन का दबाव बढ़ने या पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी है, नहीं होना चाहिए । उम्मीदवार की अच्छी दूर दृष्टि (विलय सम्बंधित और दोनों आंखों में दृष्टि का पूरा क्षेत्र) होनी चाहिए । आंखों की गतिविधि सभी दिशाओं में पूर्ण होनी चाहिए । प्रत्येक आँख की दृष्टि 6/6 (सामान्य) होनी चाहिए । उपनेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक आँख की दृष्टि 2.5 से अधिकता/न्यूनता की हालत में स्वीकार्य नहीं है । दोनों आंखों में बिन सहायता दृष्टि न्यूनतम 6/12 या एक आँख 6/9 और अन्य नेत्र में न्यूनतम 6/12 होना चाहिए। ISHIARA परीक्षण चार्ट द्वारा जांच पर दोषपूर्ण रंग दृष्टि अयोग्यता है।

indiacode

15	सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल । प्रतिनियुक्ति के लिए प्रायोजन विभाग / एजेंसी के प्रासंगिक उम्र लागू होगी ।
16	टिप्पणी	(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । (ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **62**

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-32-17 दिनांक 21-08-2015 के *तहत*]

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के **अधिकारियों को** वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन निर्धारित करने के लिए **अध्यादेश**

क्रम सं.	**व्यय मद और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन की सीमा**	**प्रशासनिक अनुमोदन / व्यय स्वीकृति द्वारा**	fVIi.kh
अ. भारत सरकार द्वारा **स्वीकृत** की गई "योजना निधि" से व्यय			
(क)	योजना निधि के अंतर्गत **स्वीकृत** और सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा सिविल वर्क्स (नवीकरण, मरम्मत और इमारतों के रखरखाव, सड़क आदि सहित)		
	(i) यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव **स्वीकृत** योजना के अनुसार **और** कैम्पस कार्य या मुख्यालय कार्य के निर्दिष्ट आइटम के लिए आवंटित निधि के अंतर्गत है	कैम्पस निदेशक या कुलसचिव, स्थिति के अनुसार	
	(ii) यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव कैम्पस कार्य या मुख्यालय कार्य की **स्वीकृत** योजना के अनुसार आवंटित निधि से अधिक व प्रति काम 10 करोड़ रुपये तक है **और** भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कैम्पस विकास कोष या मुख्यालय विकास कोष से अनुपूरक फंड की आवश्यकता है	कुलपति	
	(iii) समग्र योजना निधि के भीतर कार्यों / कैम्पस के बीच में आंतरिक पुन: आबंटन	कुलपति	
(ख)	योजना निधि के अंतर्गत स्वीकृत खरीद / उपकरण का उन्नयन, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑफिस का ऑटोमेशन और संबंधित चीजें		1. उच्च मूल्य और उच्च तकनीकी मदों जैसे कि सिमुलेटर, उपकरण, मशीनरी आदि के लिए विनिर्देश का निर्धारण कुलपति द्वारा गठित "उच्च शक्ति विशेषज्ञ समिति" द्वारा किया जाएगा । 2. कैम्पस निदेशक द्वारा एक करोड़ रुपये तक की निविदाओं का अनुमोदन कुलपति द्वारा गठित "क्रय समिति" की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा । 3. मुख्यालय के लिए दस करोड़ रुपये तक की निविदाओं का अनुमोदन कुलपति द्वारा मुख्यालय के लिए गठित "क्रय समिति" की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा ।
	(i) कैम्पस के संबंध में प्रति आइटम 1 करोड़ रुपये तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि आवश्यक उपकरण आदि का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति आइटम 1 करोड़ रुपये **और** 10 करोड़ रुपये के बीच तथा मुख्यालय के संबंध में आवश्यक उपकरण आदि का मूल्य 10 करोड़ रुपये प्रति आइटम तक है	कुलपति	
	(iii) समग्र योजना निधि के भीतर कैम्पस के बीच में आंतरिक पुन: आबंटन	कुलपति	

(ग)	पुस्तकालय के लिए पुस्तकों / पत्रिकाओं / पत्र आदि के लिए (नीचे (घ) के अलावा)		पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का चयन कुलपति द्वारा गठित "पुस्तकालय क्रय समिति" की सिफारिश पर किया जाएगा।
	(i) कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 50 लाख रुपये तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि आवश्यक पुस्तकों आदि का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 50 लाख रुपये **और** 5 करोड़ रुपये के बीच तथा मुख्यालय के संबंध में आवश्यक पुस्तकों आदि का मूल्य 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है	कुलपति	
	(iii) समग्र योजना निधि के भीतर कैम्पस के बीच में आंतरिक पुन: आबंटन	कुलपति	
(घ)	पुस्तकालय के लिए ई-पुस्तकों / ई-पत्रिकाओं /ई-पत्र आदि के लिए		1. चूंकि ई-पुस्तकों / ई-पत्रिकाओं/ ई-पत्र आदि को मुख्यालय के साथ- साथ विभिन्न परिसरों द्वारा साझा किया जाना है, इसलिये सदस्यता केंद्रीकृत होनी चाहिए। 2. कुलपति द्वारा लाइब्रेरी के डिजिटलीकरण में उनकी सहायता करने के लिए एक "उच्च शक्ति विशेषज्ञ समिति" का गठन हो सकता है। 3. ई-पुस्तकों/ ई-पत्रिकाओं/ ई-पत्र आदि का चयन कुलपति द्वारा गठित "पुस्तकालय क्रय समिति" की सिफारिश पर किया जाएगा।
	करोड़ रुपये 10 प्रति वर्ष ई-पुस्तकों / ई-पत्रिकाओं /ई-पत्र आदि की सदस्यता के लिए	कुलपति	
ब. "योजना निधि के अलावा अन्य" से व्यय			
(क)	भौतिक बुनियादी ढांचे सहित नवीनीकरण, मरम्मत और भवनों आदि के रखरखाव कार्य		
	1. "योजना निधि के अलावा अन्य" के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा कार्य		1. जहां कार्य सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है : कैम्पस निदेशक/ कुलपति द्वारा **प्रशासनिक अनुमोदन/ व्यय स्वीकृति** उनसे संबंधित सीमा के भीतर कुलपति द्वारा गठित "निर्माण समिति" की सिफारिश पर किया जाएगा। 2. जहां कार्य सीपीडब्ल्यूडी से भिन्न संस्था को सौंपा गया है : कैम्पस निदेशक/ कुलपति द्वारा **प्रशासनिक अनुमोदन** के साथ ही साथ निविदा अनुमोदन उनसे संबंधित सीमा के भीतर कुलपति द्वारा गठित "निर्माण समिति" की सिफारिश पर किया जाएगा। **(टिप्पणी:** निविदा स्वीकृति के लिए सीमा प्रशासनिक **अनुमोदन** के लिए लागू सीमा के समान होगी)
	(i) कैम्पस कार्य के संबंध में प्रति वर्क्स एक करोड़ रुपये तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि कार्य का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्क्स 1 करोड़ रुपये **और** 10 करोड़ रुपये के बीच तथा मुख्यालय के संबंध में कार्य का मूल्य 10 करोड़ रुपये प्रति वर्क्स तक है	कुलपति	
	2. "योजना निधि के अलावा अन्य" के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी से भिन्न संस्था को सौंपा कार्य		
	(i) कैम्पस कार्य के संबंध में प्रति वर्क्स 20 लाख रुपये तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि कार्य का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्क्स 20 लाख रुपये **और** 10 करोड़ रुपये के बीच तथा मुख्यालय के संबंध में कार्य का मूल्य 10 करोड़ रुपये प्रति वर्क्स तक है	कुलपति	
(ख)	"योजना निधि के अलावा अन्य" के अंतर्गत खरीद / उपकरण का उन्नयन, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑफिस का ऑटोमेशन और संबंधित चीजें		1. उच्च मूल्य और उच्च तकनीकी मदों जैसे कि सिमुलेटर, उपकरण, मशीनरी आदि के लिए विनिर्देश का निर्धारण कुलपति द्वारा

IndiaCode

	(i) कैम्पस के लिये उपकरण आदि के संबंध में प्रति आइटम 20 लाख रुपये तक	कैम्पस निदेशक	गठित "उच्च शक्ति विशेषज्ञ समिति" द्वारा किया जाएगा।
	(ii) यदि आवश्यक उपकरण आदि का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति आइटम 20 लाख रुपये **और** 10 करोड़ रुपये के बीच तथा मुख्यालय के संबंध में उपकरण आदि का मूल्य 10 करोड़ रुपये प्रति आइटम तक है	कुलपति	2. कैम्पस निदेशक द्वारा 20 लाख रुपये तक की निविदाओं का अनुमोदन कुलपति द्वारा गठित "क्रय समिति" की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। 3. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय के लिए दस करोड़ रुपये तक की निविदाओं का अनुमोदन कुलपति द्वारा मुख्यालय के लिए गठित "क्रय समिति" की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा।
(ग)	मरम्मत और उपकरणों का रखरखाव		
	(i) कैम्पस के लिये मरम्मत और उपकरणों के रखरखाव आदि के संबंध में प्रति वर्ष 50 लाख रुपये तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि मरम्मत और उपकरणों के रखरखाव आदि का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 50 लाख रुपये **और** 5 करोड़ रुपये के बीच तथा समस्त मुख्यालय के संबंध में मरम्मत और उपकरणों के रखरखाव आदि का मूल्य 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है	कुलपति	
(घ)	सेवाओं की आउटसोर्सिंग (जैसे सुरक्षा गार्ड, बागवानी, गृह व्यवस्था, अन्य जनशक्ति, कैंटीन और भोजनालय, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट संचालन, आम भर्ती टेस्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग आदि)		1. कैम्पस निदेशक/ कुलपति द्वारा निविदा अनुमोदन उनसे संबंधित सीमा के भीतर कुलपति द्वारा गठित "क्रय समिति" की सिफारिश पर किया जाएगा। **(टिप्पणी:** निविदा स्वीकृति के लिए सीमा प्रशासनिक **अनुमोदन** के लिए लागू सीमा के समान होगी) 2. स्टाफ या छात्रों के लिए समूह चिकित्सा बीमा सुविधा केवल भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय द्वारा ही केंद्रीय रूप से किया जाएगा।
	(i) कैम्पस के लिये सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि सेवाओं की आउटसोर्सिंग का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये **और** 15 करोड़ रुपये के बीच तथा समस्त मुख्यालय के संबंध में सेवाओं की आउटसोर्सिंग का मूल्य 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है	कुलपति	
(ङ)	आतिथ्य, सेमिनार, कार्यशाला और दीक्षांत समारोह		—
	(i) प्रायोजित आयोजन: एक कैम्पस के संबंध में प्रायोजन, दान आदि के माध्यम से आयोजन के लिए प्राप्त धन के स्तर तक प्रत्यायोजन	कैम्पस निदेशक	
	(ii) अन्य आयोजन: एक कैम्पस के संबंध 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक	कैम्पस निदेशक	
	(iii) (a) यदि आतिथ्य, सेमिनार, कार्यशाला और दीक्षांत समारोह का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये **और** 10 करोड़ रुपये के बीच तथा (b) यदि समस्त मुख्यालय के संबंध में आतिथ्य, सेमिनार, कार्यशाला और दीक्षांत समारोह का मूल्य 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है	कुलपति	
(च)	*विज्ञापन*		
	(i) एक कैम्पस के संबंध में केवल निविदाओं, प्रवेश, भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित विज्ञापनों पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक	कैम्पस निदेशक	1. तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा लाया स्मृति चिन्ह, अखबारों तथा पत्रिकाओं का शैक्षिक पूरक; और इसी तरह के प्रचार विज्ञापनों के लिए कैम्पस निदेशकों द्वारा विज्ञापन देने की सीमा को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक सीमित किया जाएगा 2. अखबारों में विज्ञापन डीएवीपी दरों के
	(ii) यदि विज्ञापनों का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 10 लाख रुपये **और** 10 करोड़ रुपये के बीच तथा समस्त मुख्यालय के संबंध में विज्ञापनों का मूल्य 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है	कुलपति	

IndiaCode

			अनुसार होना चाहिए। 3. अखबारों में विज्ञापन का आकार जितना संभव हो छोटा रखा जाना चाहिए और विस्तृत जानकारी को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन - किया जाना चाहिए।
(छ)	पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम सामग्री की खरीद		1. कैम्पस निदेशक द्वारा 1 करोड़ रुपये तक की निविदाओं का अनुमोदन कुलपति द्वारा गठित "क्रय समिति" की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। 2. कुलपति द्वारा 10 करोड़ रुपये तक की निविदाओं का अनुमोदन कुलपति द्वारा गठित "क्रय समिति" की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा।
	(i) एक कैम्पस के संबंध में पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम सामग्री की खरीद पर प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि एक कैम्पस के संबंध में पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम सामग्री की खरीद पर प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये **और** 10 करोड़ रुपये तक है	कुलपति	
(ज)	वाहन किराए पर लेना, गमन और रखरखाव का खर्च		एक पुराने वाहन के तिरस्कार और कुलपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नए वाहनों की खरीद के लिए अनुमति नहीं है।
	(i) एक कैम्पस के संबंध में वाहन किराए पर लेना, गमन और रखरखाव के खर्च पर प्रति वर्ष 50 लाख रुपए तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि वाहन किराए पर लेना, गमन और रखरखाव के खर्च का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक तथा समस्त मुख्यालय के संबंध में वाहन किराए पर लेना, गमन और रखरखाव के खर्च का मूल्य 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है	कुलपति	
(झ)	कार्यालय से संबंधित खर्च (डाक, दूरसंचार, मुद्रण और स्टेशनरी और अन्य ऐसी वस्तुओं सहित)		–
	(i) एक कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए तक	कैम्पस निदेशक	
	(ii) यदि कार्यालय से संबंधित खर्च का मूल्य कैम्पस के संबंध में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये **और** 10 करोड़ रुपये के बीच तथा समस्त मुख्यालय के संबंध में कार्यालय से संबंधित खर्च का मूल्य 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है	कुलपति	
(ट)	परिसर में पट्टे		
	शहर, इलाका, इमारत के प्रकार, निर्माण के क्षेत्र, सुविधाएं, उपयोग के उद्देश्य, पट्टे की अवधि आदि के अत्यधिक चर प्रकृति के कारण कार्यालय या आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसर में पट्टे के बारे में निर्णय केवल वित्त समिति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा लिया जाएगा।		
(ठ)	वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, कर, बिजली शुल्क, जल प्रभार के रूप में अनिवार्य भुगतान		1. नियमित रूप से भर्ती सभी नए शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतन और भत्ते कुलपति द्वारा तय किया जाएगा। 2. शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति और अनुबंध के आधार पर पारिश्रमिक का निर्धारण छह महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए और यह कुलपति के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।
	पूर्ण प्रत्यायोजित		
	(i) कैम्पस के संबंध में	कैम्पस निदेशक	
	(ii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुख्यालय के संबंध में	कुलसचिव	

IndiaCode

			3. विजिटिंग फैकल्टी पर व्यय कार्यभार के आधार पर कुलपति द्वारा निर्धारित सीमा तक हो सकता है ।
स. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के परिसर का उपयोग			
	कोई प्रत्यायोजन नहीं		सभी प्रस्तावों को मंजूरी के लिए वित्त समिति और कार्यकारी परिषद के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

सामान्य शर्तें

1. सभी व्यय भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मानदंडों और अनुमोदित बजट आवंटन के अधीन किया किया जाना चाहिए ।

2. कुलपति की शक्तियों से परे सभी आइटम वित्त समिति और कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए ।

3. कैम्पस निदेशक को केवल प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर व्यय उठाना चाहिए। किसी अनुसमर्थन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. अगर व्यय का कोई आइटम ऊपर के किसी भी टेबल द्वारा समाविष्ट नहीं है अथवा किसी भी आइटम के बारे में कोई अस्पष्टता या स्पष्टता की कमी है, तो कैम्पस निदेशक / कुलसचिव व्यय से पहले कुलपति से स्पष्टीकरण की तलाश करेगा ।

5. किसी भी परिसर में व्यय के एक या अधिक मदों के संबंध में प्रदत्त अधिकारों के दुरुपयोग का कोई भी विशिष्ट उदाहरण यदि कुलपति के संज्ञान में आता है, तो वह विशिष्ट कैम्पस के लिए व्यय की विशिष्ट मद के संबंध में प्रत्यायोजित शक्ति के संचालन को निलंबित करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त समिति और कार्यकारी परिषद की अगली बैठक के लिए मामले की रिपोर्ट करने के लिए आजाद है ।

6. एक कैम्पस के सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) कैम्पस निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण और वित्त अधिकारी के तकनीकी नियंत्रण में होगा । कैम्पस में वित्तीय प्रतिबद्धता से जुड़े सभी फ़ाइलों जरूरी तौर से सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) के माध्यम से कराई जानी चाहिए और सामान्य रूप से उसकी सहमति होनी चाहिए । कैम्पस निदेशक को असाधारण परिस्थितियों में, लेकिन केवल लिखित रूप में रिकॉर्डिंग के बाद सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) के नियम के विरुद्ध व्यवस्था करने के लिए शक्ति है । ऐसे सभी मामलों में, सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) 3 दिनों के भीतर सीधे वित्त अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

2015 का अध्यादेश 63

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-12 दिनांक 23-12-2015 के *rgr*]

समवर्गी अध्ययन के स्कूल की संरचना निर्धारित करने के लिए अध्यादेश

समवर्गी अध्ययन का स्कूल

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय समवर्गी अध्ययन के लिए एक स्कूल होगा, जिसकी संरचना इस रूप में होगी :

(i) कुलपति – अध्यक्ष (पदेन)

(ii) मैरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, समुद्री अध्ययन, नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग, समुद्री प्रबंधन के स्कूलों के डीन (पदेन) सदस्य -

(iii) प्रत्येक अध्ययन के स्कूल से कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षक (एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं) - सदस्य

(iv) संबद्ध संस्थानों से कुलपति द्वारा नामित (विभिन्न विषयों से) चार शिक्षक - सदस्य

(v) कुलपति द्वारा प्रस्तावित नामों के एक पैनल से शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित 12 शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले छह बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य

2. मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और वे फिर से नामांकन के लिए पात्र होंगे।

3. समवर्गी अध्ययन के लिए एक स्कूल के कार्य इस रूप में है :

(i) दिशा निर्देशों का प्रस्ताव और कुलपति द्वारा सौंपा गया इस तरह के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और पीजी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए नियमों के रूप में ।

(ii) इस तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और पीजी डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और समर्थन पाठ्यक्रम सामग्री का विकास ।

(iii) इस तरह के रूप में समय-समय पर शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा उसे सौंपे अन्य कार्य करना।

4. बोर्ड की बैठक एक साल में कम से कम दो बार आयोजित किया जाएगा ।

5. बोर्ड की बैठक के लिए कार्यसाधक संख्या कुल सदस्यों में से एक तिहाई होगी ।

6. बोर्ड की बैठक के लिए सूचना बैठक की तारीख तय होने से कम से कम दस दिन पहले जारी किया जाएगा।

7. बोर्ड काम करने के लिए स्वयं प्रक्रियाओं का निर्धारण कर सकता है ।

2015 का अध्यादेश 64

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-13 दिनांक 23-12-2015 के *rgr*]

अध्यादेश संबद्धता और मान्यता बोर्ड की संरचना निर्धारित करने के लिए अध्यादेश

अध्यादेश संबद्धता और मान्यता बोर्ड

संबद्धता और मान्यता बोर्ड चेन्नई में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगा और निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. कुलपति - अध्यक्ष
2. उपकुलपति
3. कुलसचिव
4. कुलपति द्वारा नामित किसी परिसर से दो प्रतिनिधि, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं ।
5. कुलपति की सहमति से जहाजरानी के महानिदेशक द्वारा नामित दो प्रतिनिधि (समुद्री और इंजीनियरिंग शाखाओं से नामित प्रत्येक प्रतिनिधि) ।
6. शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित उद्योग के दो विशेषज्ञ ।

कुलसचिव संबद्धता और मान्यता बोर्ड के सदस्य- सचिव हैं।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तारीख से 3 वर्ष का होगा।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश 65

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-15 दिनांक 23-12-2015 के *rgr*]

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्रों द्वारा देय सेमेस्टर फीस और जुर्माना निर्धारित करने के लिए अध्यादेश

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के **परिसरों में छात्रों द्वारा देय सेमेस्टर फीस और जुर्माना**

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के परिसरों के छात्रों द्वारा देय फीस समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा । भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से शामिल होने के लिए सेमेस्टर फीस इस प्रकार लागू किया जाएगा:

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देय फीस

कार्यक्रम	छात्र लिंग	एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल फीस	प्रति सेमेस्टर देय शुल्क		
			विषम सेमेस्टर		सम सेमेस्टर
			कार्यक्रम शुल्क	सेमेस्टर शुल्क	सेमेस्टर शुल्क
प्रौद्योगिकी स्नातक (समुद्री अभियांत्रिकी)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	महिला	1,45,000/-		60,000/-	60,000/-
प्रौद्योगिकी स्नातक (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	महिला				
विज्ञान स्नातक. (समुद्री विज्ञान)	पुरुष	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	महिला	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
विज्ञान स्नातक.	पुरुष	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-

(मेरीटाइम विज्ञान)	महिला	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
विज्ञान स्नातक (जहाज निर्माण और मरम्मत)	पुरुष	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	महिला				
प्रौद्योगिकी निष्णात (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	महिला			1,00,000/-	1,00,000/-
प्रौद्योगिकी निष्णात (ड्रेजिंग और हार्बर इंजीनियरिंग)	पुरुष	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	महिला			1,00,000/-	1,00,000/-
व्यवसाय प्रशासन निष्णात (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और रसद)	पुरुष	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	महिला				
व्यवसाय प्रशासन निष्णात (पोर्ट और नौवहन प्रबंधन)	पुरुष	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	महिला				
मरीन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पुरुष	3,50,000/-	25,000/-	1,62,500/-	1,62,500/-
	महिला	2,50,000/-		1,12,500/-	1,12,500/-

2. **सेमेस्टर शुल्क - कार्यक्रम पर निर्भर करता है -** में **सामान्य रूप से निम्न कुछ या सभी शामिल होगा** : शिक्षण शुल्क (पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कार्यशाला का शुल्क, औद्योगिक यात्रा शुल्क, पाठ्येतर गतिविधि शुल्क, चिकित्सा शुल्क आदि के समावेशी), मेस शुल्क, अस्थायी आवास के प्रभार, बाल-कट प्रभार, कपड़े धोने का प्रभार, वर्दी की लागत, पुस्तकों की लागत और इसी तरह का शुल्क। इसमें ब्याज मुक्त, एक बार प्रवेश के समय एकत्र 20,000 रुपये की सावधानी जमा शामिल नहीं हैं।

3. विश्वविद्यालय अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल अनिवासी/ विदेशी नागरिक श्रेणियों के व्यक्तियों के तहत भर्ती छात्रों के लिए उच्च सेमेस्टर की फीस निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. सेमेस्टर फीस भारतीय स्टेट बैंक के आई-कलेक्ट माध्यम से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक/ ऑनलाइन माध्यम से धन हस्तांतरण या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य तरीके से देय होगा।

5. किसी भी कार्यक्रम के पहले सेमेस्टर के लिए, पूर्ण सेमेस्टर के संबंध में फीस छात्र को स्वीकार करने से पहले एकत्र किया जाएगा। जब तक पहले सेमेस्टर से संबंधित सेमेस्टर की फीस पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाएगा, किसी भी छात्र को किसी भी परिसर में किसी भी कार्यक्रम के लिए भर्ती नहीं किया जाएगा।

6. दूसरे सेमेस्टर से, सेमेस्टर की फीस सेमेस्टर के पहले दिन से देय हो जाएगा।

7. सेमेस्टर की फीस सेमेस्टर के पहले दिन से 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने **पर** कोई जुर्माना नहीं होगा।

8. सेमेस्टर के उद्घाटन के दिन से 16 दिन और 45 वें दिन के बीच सेमेस्टर की फीस के देर से भुगतान के लिए 200/- रुपये प्रति दिन जुर्माना किया जाएगा, ही सेमेस्टर की फीस 15 दिनों के भीतर भाग में भुगतान किया गया था।

9. छात्रों से सेमेस्टर फीस की पूरी और समय पर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कैम्पस निदेशक का दायित्व होगा। वह विभाग के नोटिस बोर्ड के साथ ही छात्रावास में, बकाएदारों जो 15 दिनों के भीतर पूरा सेमेस्टर की फीस का भुगतान नहीं किया, उनकी सूची प्रदर्शित करेगा। वह आगे लिखित रूप में न केवल बकाएदारों बल्कि उनके माता-पिता के लिए अलग-अलग चेतावनी नोटिस देगा कि अगर वे सेमेस्टर के पहले दिन से 45 दिनों के पहले पूर्ण में देय सेमेस्टर की फीस के साथ जुर्माना एक साथ नहीं करते तो बकाएदारों के नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटाया जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और वे छात्रावास से भी निष्कासित किए जा सकते हैं।

10. यदि एक सेमेस्टर की फीस के साथ देय जुर्माना की फीस किसी भी हिस्से में सेमेस्टर के उद्घाटन के दिन से 45 दिनों के बाद भी बकाया रहता है, तो बकाएदारों के नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटाया जाएगा और वे प्रभावी 46वें दिन से छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा। परिसर निदेशक पर ही यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।

11. दोषी छात्र यदि सेमेस्टर के उद्घाटन के दिन से 75वें दिन के बीच सेमेस्टर फीस के साथ देय पूर्ण जुर्माना और 10,000/- रुपए की पुन: प्रवेश पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर देता है, तो सेमेस्टर में पुन: शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र इसके कारण उपस्थिति में किसी भी कमी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

12. दोषी छात्र यदि इस अवसर का लाभ उठाने में भी विफल रहता है और सेमेस्टर के उद्घाटन के दिन से 75वें दिन के भीतर जुर्माना और 10,000/- रुपए की पुन: प्रवेश पंजीकरण शुल्क के साथ मिलकर पूर्ण सेमेस्टर की फीस का भुगतान नहीं करता है, तो उसके बाद छात्र को अध्ययन में अन्तराल भुगतना पड़ेगा और विश्वविद्यालय से लिखित रूप में पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद और सभी लंबित बकाया राशि को भुगतान के बाद ही अगले शैक्षणिक वर्ष में पुन: शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

13. विश्वविद्यालय छात्र के साथ ही साथ माता-पिता से लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए और ऐसे समय जब तक बकाया राशि नहीं करता हैं, अपने मूल प्रमाण पत्रों को रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. यदि एक छात्र अपने प्रवेश पंजीकरण शुल्क और कार्यक्रम शुल्क का भुगतान के बाद निर्धारित समय के भीतर प्रथम सेमेस्टर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैम्पस में रिपोर्ट नहीं करता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पंजीकरण शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क की वापसी के लिए हकदार नहीं होगा।

15. यदि एक छात्र पहले सेमेस्टर के लिए देय अपने प्रवेश पंजीकरण शुल्क, कार्यक्रम शुल्क और सेमेस्टर फीस का भुगतान के बाद स्वयं को विश्वविद्यालय से वापस ले लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में निवेदित प्रवेश पंजीकरण शुल्क, कार्यक्रम शुल्क और सेमेस्टर फीस की वापसी के लिए हकदार नहीं होगा।

16. यदि एक छात्र किसी भी अन्य सेमेस्टर के बीच में लिए स्वयं को विश्वविद्यालय से वापस ले लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में निवेदित कार्यक्रम शुल्क और सेमेस्टर फीस की वापसी के लिए हकदार नहीं होगा। हालांकि, छात्र से एक आवेदन पर, उसके खिलाफ सभी बकाया राशि को घटाने के बाद, सतर्कता जमा वापस किया जाएगा।

17. उपर्युक्त कथन के होते हुए भी, किसी भी छात्र को अंत सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह अपने सभी बकाया राशि, निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान और एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' का उत्पादन नहीं करता है।

2015 का अध्यादेश 66

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-16 दिनांक 23-12-2015 के *rgi*]

संबद्ध संस्थान जो एक निश्चित वर्षों की अवधि के लिए एक भी छात्र को स्वीकार करने में असफल रहे हैं के लिए स्वत: असंबद्धता अध्यादेश

संबद्ध संस्थानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई जो एक निश्चित अवधि के लिए एक भी छात्र को स्वीकार करने में असफल हैं

यदि एक संबद्ध संस्थान एक पंक्ति में तीन साल के लिए (या 4 साल की अवधि के कार्यक्रम होने के संबंध में एक पंक्ति में चार साल के लिए) किसी भी कार्यक्रम में एक भी छात्र को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो कार्यक्रम के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की संबद्धता 3 साल की अवधि (या 4 साल की अवधि जैसा भी मामला हो) के अंत में स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा। यह इसीलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षक सामान्य रूप से उपयोग नहीं होगा/ बनाए नहीं रखा गया होगा और इस अवधि के दौरान इमारतें और उपकरण भी खराब हो गया होगा। संस्थान से प्राप्त एक अनुरोध पर संबद्धता शायद पुनर्जीवित की जा सकती है, लेकिन यह एक ताजा आवेदन के रूप में किया जाएगा और सभी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं, प्रारंभिक संबद्धता शुल्क के भुगतान और अन्य सभी लागू शुल्क और नई संबद्धता के अनुदान के लिए निर्धारित निरीक्षण के बाद करना होगा।

2015 का अध्यादेश 67

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-17 दिनांक 23-12-2015 के *rgr*]

संबद्ध संस्थान द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जाना सम्बंधित अध्यादेश

संबद्ध संस्थान द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जाना

हर संबद्ध संस्थान प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले निर्धारित प्रारूप में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को एक वार्षिक वापसी प्रस्तुत करेगा । कोई भी संबद्ध संस्थान, जो रिटर्न जमा करने में विफल रहता है या एक झूठी रिटर्न प्रस्तुत करता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो जाएगा, जिनमें से हॉल टिकट / परीक्षा परिणाम और कई मामलों में रोक शामिल हो सकते हैं और गंभीर मामलों में संस्थान के असंबद्धता भी हो सकते हैं ।

संस्थानों द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को हर साल की 30 सितंबर से पहले

प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक विवरणी की प्रारूप

1. संस्थान का नाम, पता और संबद्ध संपर्क विवरण:

2. प्रधानाचार्य का नाम, पता और संपर्क विवरण:

3. संस्थान के शासी निकाय / प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का नाम, पता और संबद्ध संपर्क विवरण:

4. भूमि का विवरण, जिसमें संस्थान स्थित है:

(क) कुल क्षेत्रफल (एकड़ में):

(ख) क्या स्वामित्व / पट्टे पर:

(ग) यदि पट्टे पर, पट्टे की अवधि:

(घ) बिल्ट-अप एरिया (एकड़ में):

5. नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण:

कार्यक्रम का नाम	नौवहन महानिदेशालय शिपिंग का अनुमोदन		
	अनुमोदन वर्ष	रेफ. नं. और तारीख	स्वीकृत सेवन

6. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण:

कार्यक्रम का नाम	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के साथ संबंधन			
	अनुमोदन वर्ष	रेफ. नं. और तारीख	स्वीकृत सेवन	सिलसिला शुल्क जो साल के लिए भुगतान किया

7. स्थापना के बाद से भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के विवरण:

कार्यक्रम का नाम	**शैक्षणिक वर्ष**	भर्ती छात्रों की संख्या	छोड़ने वाले छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या जो पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और पास आउट किया

IndiaCode

8. कार्यरत और काम कर रहे संकाय का कार्यक्रम-वार ब्यौरा :

कार्यक्रम का नाम	संकाय का नाम व पदनाम	योग्यता	क्या स्थायी / अस्थायी / अनुबंध	काम करने से तिथि

9. 2012-13 के बाद से एप्लाइड समुद्री विज्ञान कार्यक्रम के लिए अग्रणी डीएनएस के मामले में प्रायोजकों का विवरण (यदि लागू हो) :

शैक्षणिक वर्ष	बैच	प्रायोजकों एजेंसी का नाम और पता	बोर्ड पर प्रशिक्षण स्लॉट टाई-अप की संख्या	वास्तव में नियुक्त छात्रों की संख्या
	फ़रवरी			
	अगस्त			

10. क्या संस्थान वर्तमान में *भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध एक ही प्रोग्राम के लिए* किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है:

हां / नहीं

यदि **'हाँ',** कौन से वर्ष में संबद्धता प्राप्त किया गया था :

दाखिला के रूप में नीचे दिखाया गया विवरण प्रदान करें :

कार्यक्रम का नाम	**शैक्षणिक वर्ष**	स्वीकृत सेवन	भर्ती छात्रों की संख्या

मैं / हम प्रमाणित करते हैं ऊपर दिए सभी ब्यौरे सच्चे और सही और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर हैं।

दिनांक: (प्रधान के हस्ताक्षर)

स्थान: नाम और आधिकारिक मुहर के साथ पदनाम

2015 का अध्यादेश 68

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-18 दिनांक 23-12-2015 के *rgr*]

संबद्ध संस्थानों के शिक्षण स्टाफ और प्रधानाध्यापकों के लिए योग्यता निर्धारित करने सम्बंधित अध्यादेश

I. संबद्ध संस्थानों में समुद्री अध्ययन के स्कूल में शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता

(1)	पद का नाम	संकाय के सभी पोस्ट
(2)	नियुक्ति की विधि	सीधी भर्ती द्वारा
(3)	शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता	(क) मास्टर (विदेश गमन) योग्यता का प्रमाण पत्र ; (ख) सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने

IndiaCode

		की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव ; तथा (ग) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। प्रासंगिक अनुशासन में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है।
(4)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 साल
(5)	टिप्पणियाँ	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन–ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नहीं, इसपर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा। 3. सहायक प्रोफेसर के रूप में जो 01/01/2016 से संबद्ध संस्थानों में सेवा में हैं, और जो ऊपर योग्यता पंक्ति 3 में संकेत (क) और (ख) पूरा करता है, उनको पंक्ति 3 (ग) में निर्धारित पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।

II. संबद्ध संस्थानों में मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल में शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता

(1)	पद का नाम	संकाय के सभी पोस्ट
(2)	नियुक्ति की विधि	सीधी भर्ती द्वारा
(3)	शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता	(क) एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी ; (ख) सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव ; तथा (ग) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । प्रासंगिक अनुशासन में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।
(4)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 साल
(5)	टिप्पणियाँ	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन–ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नहीं, इसपर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा। 3. सहायक प्रोफेसर के रूप में जो 01/01/2016 से संबद्ध संस्थानों में सेवा में हैं, और जो ऊपर योग्यता पंक्ति 3 में संकेत (क) और (ख) पूरा पूरा करता है, उनको पंक्ति 3 (ग) में निर्धारित पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।

III. संबद्ध संस्थानों में प्रिंसिपलों के लिए निर्धारित योग्यता

(1)	पद का नाम	प्रिंसिपल
(2)	नियुक्ति की विधि	सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा
(3)	शैक्षिक और अन्य योग्यता की आवश्यकता	वर्ग I : पी.एच.डी. के **बिना** मेराइनर्स से अ. **मास्टर (विदेश गमन) योग्यता का प्रमाण पत्र** / एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी; और आ. **सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर दो साल की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव** ; तथा इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम **दस** वर्षों का अनुभव (i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (आ) में निर्धारित निम्नतम **दो साल** के अलावा) **(ii) एक मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में समुद्री विज्ञान / समुद्री इंजीनियरी शिक्षण** (iii) जहाजरानी महानिदेशालय या किसी मान्यता प्राप्त **वर्गीकृत** सोसाइटी में नॉटिकल / **इंजीनियरी** सर्वेक्षक (iv) विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक **(v) एक प्रमुख बंदरगाह में पायलट** **[या]** वर्ग II : पी.एच.डी. के साथ मेराइनर्स से अ. **मास्टर (विदेश गमन) योग्यता का प्रमाण पत्र** / एमईओ क्लास 1 (मोटर) सर्टिफिकेट ऑफ कोम्पेटेंसी; और आ. **सेना में प्रबंधन के स्तर पर STCW कन्वेंशन के अर्थ के भीतर छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए नौकायन अनुभव ; तथा** इ. निम्न में से एक या अधिक क्षेत्र में समुद्री उद्योग में कम से कम **आठ** वर्षों का अनुभव (i) प्रबंधन स्तर में नौकायन अनुभव (उपरोक्त (आ) में निर्धारित निम्नतम **छह महीने** के अलावा)

IndiaCode

		(ii) एक मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में समुद्री विज्ञान / समुद्री इंजीनियरी शिक्षण (iii) जहाजरानी महानिदेशालय या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकृत सोसाइटी में नॉटिकल / इंजीनियरी सर्वेक्षक (iv) विख्यात जहाज स्वामित्व या जहाज प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक (v) एक प्रमुख बंदरगाह में पायलट
(4)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 साल
(5)	टिप्पणियाँ	1. संभाव्य अभ्यर्थी की लगातार डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उल्लिखित जहाज पर साइन–ऑन तथा साइन ऑफ से संबंधित प्रविष्टि को नौकायन अनुभव के रूप में लिया जाएगा। 2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय – (i) कि क्या पी.एच.डी. संबंधित विषय में है कि नहीं; (ii) कि क्या अनुभव जहाज-मालिक या जहाज प्रबंध कंपनी या एक समुद्री प्रशिक्षण संस्थान में गिना जाना चाहिए या नहीं इस पर अंतिम रहेगा। 3. पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा। 4. यदि संबद्ध संस्थान ने केवल समुद्री अध्ययन के स्कूल या मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल कार्यक्रम की पेशकश की है, तो प्रधान सम्बन्धित विषय में योग्य होना चाहिए । 5. यदि संबद्ध संस्थान ने समुद्री अध्ययन के साथ ही समुद्री इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल कार्यक्रम की पेशकश की है, तो प्रधान कोई भी अनुशासन में योग्य हो सकते हैं ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश **69**

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-19 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग के स्कूल में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर
2.	पदों की संख्या	4
3.	वर्गीकरण	शिक्षक

4.	वेतनमान	वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु.6,000 । सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे । अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.8,000 के लिए पात्र होंगे ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **से** दोनों और / या उससे मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय **से** नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग / नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड और नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग / नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में स्नातक डिग्री । (ख) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **से** दोनों और / या उससे मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय **से** नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग / नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।
8	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	लागू नहीं ।
9	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा **भर्ती** के प्रकरण में, पदोन्नति/	लागू नहीं ।

IndiaCode

	प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किस ग्रेड से किया जाना है।	
12.	चयन समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **भारत के बाहर रहने वाले पात्र उम्मीदवारों के संदर्भ में विडियो कांफ्रेंसिंग या समकक्ष के माध्यम से साक्षात्कार करने का अधिकार रखता है ।** 2. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 3. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश **70**

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-19 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग के स्कूल में सह-प्राध्यापक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सह - प्राध्यापक
2.	पदों की संख्या	4
3.	वर्गीकरण	शिक्षक
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37,400-67,000 के साथ अ.प.वे. रु.9,000
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधे **भर्ती** के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 साल से अधिक नहीं

		(योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **से दोनों और / या** उससे मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय **से नौसेना वास्तुकला या जहाज निर्माण या एक संबंधित क्षेत्र में पी.एच.डी., और साथ में नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग / नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड, और साथ में नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग / नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में स्नातक डिग्री ।** (ख) **किसी** विश्वविद्यालय, **कॉलेज या मान्यता** प्राप्त अनुसंधान **संस्था / उद्योग (शैक्षणिक अथवा अनुसंधान की स्थिति** में सहायक प्रोफसर **के समकक्ष)** में **शिक्षण और / या अनुसंधान का** आठ वर्षों का **न्यूनतम** अनुभव। प्रकाशन के रूप में निम्नतम 5 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र का प्रमाण । **(अथवा)** **एक प्रतिष्ठित जहाज निर्माण उद्योग में डिजाइन और/ या निर्माण में प्रबंधन की स्थिति में न्यूनतम 12 साल का पेशेवर अनुभव (विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर के बराबर या ऊपर पद पर)** । प्रकाशन के रूप में निम्नतम 1 पुस्तक/ प्रकाशन के साथ प्रकाशन कार्य और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र का प्रमाण । *वांछनीय :* **(क) कान्फ्रेंस में प्रस्तुत पेपर।** (ख) डॉक्टरेट या **अनुसंधान** स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का प्रमाण ।
8	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
9	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	**सीधी भर्ती** के लिए 2 वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति**	**सीधी भर्ती** /पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश वह अभ्यर्थी जिसने प्रतिनियुक्ति पर **सह प्राध्यापक** - के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है समावेश के लिए अर्ह है।

IndiaCode

11.	पदोन्नति के प्रकरण में किस ग्रेड से किया जाना है।	एक सहायक प्रोफेसर, जो संतोषजनक प्रदर्शन और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन अ.प.वे. रु 8,000 में शिक्षण के 3 साल पूरा कर लिया है, वेतन बैंड-4 में रु. 37,400-67,000 अ.प.वे. के साथ रु. 9,000 में स्थानांतरित करने के लिए पात्र होंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मनोनीत होंगे।
12.	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहप्राध्यापक- जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा। 2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत के बाहर रहने वाले पात्र उम्मीदवारों के संदर्भ में विडियो कांफ्रेंसिंग या समकक्ष के माध्यम से साक्षात्कार करने का अधिकार रखता है । 3. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 4. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 71

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का.प. 2015-33-19 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग के स्कूल में प्रोफ़ेसर के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	प्रोफ़ेसर
2.	पदों की संख्या	2
3.	वर्गीकरण	शिक्षक

4.	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37,400-67,000 के साथ अ.प.वे. रु.10,000
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधे **भर्ती** के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	55 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) नौसेना वास्तुकला या जहाज निर्माण या एक संबंधित क्षेत्र में पी.एच.डी., और साथ में नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग / नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एक प्रख्यात विद्वान । (ख) **किसी** विश्वविद्यालय, **कॉलेज या मान्यता** प्राप्त अनुसंधान **संस्था** / उद्योग में शिक्षण और / या अनुसंधान **का** आठ वर्षों का **न्यूनतम** अनुभव, **जिसमें से कम से कम 5 साल सह - प्राध्यापक या समकक्ष** । प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों **का** प्रकाशन कार्य और/या **अनुसंधान**/संदर्भित जर्नल में नीति प्रपत्र का प्रमाण । **डॉक्टरेट** स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का अनुभव **आवश्यक है** । (**अथवा**) **शिपिंग / पोर्ट / रसद उद्योग में प्रबंधन की स्थिति में न्यूनतम 15 साल का पेशेवर अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 साल विश्वविद्यालय में एक सह - प्राध्यापक के समकक्ष पद पर** । प्रकाशन के रूप में निम्नतम 3 पुस्तकों **का** प्रकाशन कार्य और/या **अनुसंधान**/संदर्भित जर्नल में नीति प्रपत्र का प्रमाण । **डॉक्टरेट** स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का अनुभव **आवश्यक है।**
8	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
9	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	**सीधी भर्ती** के लिए 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	**सीधी भर्ती** /पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश वह अभ्यर्थी जिसने प्रतिनियुक्ति पर **प्रोफ़ेसर** के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है समावेश के लिए अर्ह है।

indiaCode

11.	पदोन्नति के प्रकरण में किस ग्रेड से किया जाना है।	1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **या** उससे मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय **से नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग / नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में पी.डी.एच.; और** 2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **में सहप्राध्यापक-** के रूप में 6 वर्ष का अनुभव । 3. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों **का** प्रकाशन कार्य और/या **अनुसंधान** / संदर्भित जर्नल में नीति प्रपत्र का प्रमाण । 4. **डॉक्टरेट** स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का अनुभव **आवश्यक है ।** 5. **संतोषजनक प्रदर्शन और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन ।**
12.	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे : (i) कुलपति (ii) उपकुलपति (iii) आगन्तुक के एक नामिती (iv) अगर प्रोफेसर हो तो, संबंधित विभाग के प्रमुख (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफेसर नामित किया जाएगा (vi) प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले तीन व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न चारों में से कम से कम किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक के नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के तीन नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. **पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा।** 2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **भारत के बाहर रहने वाले पात्र उम्मीदवारों के संदर्भ में विडियो कांफ्रेंसिंग या समकक्ष के माध्यम से साक्षात्कार करने का अधिकार रखता है ।** 3. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु–सीमा में छूट दी जाएगी । 4. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश **72**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-20 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

समुद्री प्रबंधन के स्कूल में सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	**शिक्षक**
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु.6,000 । सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे । अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.8,000 के लिए पात्र होंगे ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री और कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अर्थशास्त्र के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अर्थशास्त्र के लिए इसी तरह के राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । अर्थशास्त्र में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।
8.	पदोन्नति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होंगी	**लागू नहीं ।**

IndiaCode

9	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के प्रकरण में, पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किस ग्रेड से किया जाना है।	लागू नहीं ।
12.	चयन समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु–सीमा में छूट दी जाएगी । 2. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **73**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-20 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

समुद्री प्रबंधन के स्कूल में सहायक प्रोफेसर (वित्त और लेखांकन) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (वित्त और लेखांकन)
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	शिक्षक
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु.6,000 । सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे । अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.8,000 के लिए पात्र होंगे ।

5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	35 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य में स्नातक डिग्री और सीए/आईसीडब्ल्यूए या कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वाणिज्य के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वाणिज्य के लिए इसी तरह के राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । (ग) वाणिज्य/ वित्त/ लेखांकन में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।
8.	पदोन्नति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	लागू नहीं ।
9.	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा **भर्ती** के प्रकरण में, पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किस ग्रेड से किया जाना है।	लागू नहीं ।
12.	चयन समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति।

IndiaCode

		चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 2. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **74**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-20 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

समुद्री प्रबंधन के स्कूल में सहायक प्रोफेसर (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / पोर्ट और नौवहन प्रबंधन)

के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / पोर्ट और नौवहन प्रबंधन)
2.	पदों की संख्या	2
3.	वर्गीकरण	शिक्षक
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु.6,000 । सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे । अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.8,000 के लिए पात्र होंगे ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	35 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय **या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य स्नातक/ व्यवसाय प्रशासन स्नातक/**

IndiaCode

		इंजीनियरी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक डिग्री और सीए/आईसीडब्ल्यूए या कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और रसद)/ व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए (पोर्ट और नौवहन प्रबंधन) या कोई भी समकक्ष व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए में स्नातकोत्तर डिग्री । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रबंधन के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रबंधन के लिए इसी तरह के राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । (ग) प्रबंधन में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है ।
8.	पदोन्नति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	लागू नहीं ।
9.	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा **भर्ती** के प्रकरण में, पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किस ग्रेड से किया जाना है।	लागू नहीं ।
12.	चयन समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ—साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. एमबीए/ व्यवसाय प्रशासन निष्णात की डिग्री के तुल्यता के बारे में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

IndiaCode

		2. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु–सीमा में छूट दी जाएगी । 3. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **75**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-20 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

समुद्री प्रबंधन के स्कूल में सह - प्राध्यापक (अर्थशास्त्र/ वित्त और लेखांकन) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सह - प्राध्यापक (अर्थशास्त्र/ वित्त और लेखांकन)
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	**शिक्षक**
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37,400-67,000 के साथ अ.प.वे. रु.9,000 ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधे **भर्ती** के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	45 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय **या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री और कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री और अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. ।** (या) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय **या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य स्नातक डिग्री और सीए/आईसीडब्ल्यूए या कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री और वाणिज्य/ वित्त/ लेखांकन में पी.एच.डी.।** और

		(ख) **किसी** विश्वविद्यालय, **कॉलेज या मान्यता** प्राप्त **अनुसंधान संस्था** / उद्योग में **शैक्षणिक अथवा अनुसंधान की स्थिति** में सहायक प्रोफसर **के समकक्ष स्थिति पर शिक्षण और / या अनुसंधान का** आठ वर्षों का **न्यूनतम** अनुभव। प्रकाशन के रूप में निम्नतम 5 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र का प्रमाण। *वांछनीय :* (क)**कान्फ्रेंस में प्रस्तुत पेपर।** (ख) **डॉक्टरेट और अनुसंधान** स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का प्रमाण ।
8.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
9.	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	**सीधी भर्ती** के लिए 2 वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति**	**सीधी भर्ती** /पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश वह अभ्यर्थी जिसने प्रतिनियुक्ति पर **सह - प्राध्यापक** के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है समावेश के लिए अर्ह है।
11.	पदोन्नति के प्रकरण में किस ग्रेड से किया जाना है।	**एक सहायक प्रोफेसर, जो संतोषजनक प्रदर्शन और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन अवे.प.. रु.8 000,में शिक्षण के साल पूरा कर लिया** 3 **है, वेतन बैंड-4 में रु.37,400-67,0वे.प.के साथ अ 00. रु.9000, में स्थानांतरित करने के लिए पात्र होंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मनोनित होंगे।**
12.	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	**चयन समिति इस प्रकार होगी :** **(i) कुलपति - अध्यक्ष** **(ii) उपकुलपति** **(iii) आगंतुक के एक** नामिती **(iv) संबंधित विभाग के प्रमुख** **(v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा** **(vi) सह - प्राध्यापक** जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13.	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष

14.	टिप्पणी	1. पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा। 2. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 3. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **76**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-20 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

समुद्री प्रबंधन के स्कूल में सह - प्राध्यापक (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / पोर्ट और नौवहन प्रबंधन)

के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सह - प्राध्यापक (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / पोर्ट और नौवहन प्रबंधन)
2.	पदों की संख्या	2
3.	वर्गीकरण	शिक्षक
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37,400-67,000 के साथ अ.प.वे. रु.9,000 ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधे **भर्ती** के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	45 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य स्नातक/ व्यवसाय प्रशासन स्नातक/ इंजीनियरी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक डिग्री और सीए/आईसीडब्ल्यूए या कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और रसद)/ व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए (पोर्ट और नौवहन प्रबंधन) या कोई भी समकक्ष व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए में स्नातकोत्तर डिग्री और प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी. ।

IndiaCode

		और (ख) किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था / उद्योग में शैक्षणिक अथवा अनुसंधान की स्थिति में सहायक प्रोफसर के समकक्ष स्थिति पर शिक्षण और / या अनुसंधान का आठ वर्षों का न्यूनतम अनुभव। प्रकाशन के रूप में निम्नतम 5 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र का प्रमाण। (या) शिपिंग और/या पोर्ट और/या रसद उद्योग में प्रबंधन की स्थिति में विश्वविद्यालय में एक सह - प्राध्यापक के समकक्ष पद पर न्यूनतम 12 साल का पेशेवर अनुभव । प्रकाशन के रूप में निम्नतम 1 पुस्तक का प्रकाशन कार्य और/या अनुसंधान/संदर्भित जर्नल में नीति प्रपत्र का प्रमाण । *वांछनीय :* (क)कान्फ्रेंस में प्रस्तुत पेपर। (ख) डॉक्टरेट और अनुसंधान स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का प्रमाण ।
8	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
9	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती /पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश वह अभ्यर्थी जिसने प्रतिनियुक्ति पर सह - प्राध्यापक के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है समावेश के लिए अर्ह है।
11.	पदोन्नति के प्रकरण में किस ग्रेड से किया जाना है।	एक सहायक प्रोफेसर, जो संतोषजनक प्रदर्शन और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन अवे.प.. रु.8 000,में शिक्षण के साल पूरा कर लिया 3 है, वेतन बैंड-4 में रु.37,400-67,000वे के साथ . , प.अ रु.9000, में स्थानांतरित करने के लिए पात्र होंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मनोनित होंगे ।
12.	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा

		(vi) सह - प्राध्यापक जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक की नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. एमबीए/ व्यवसाय प्रशासन निष्णात की डिग्री और पी.एच.डी. की तुल्यता के बारे में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। 2. पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा। 3. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 4. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश **77**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-20 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

समुद्री प्रबंधन के स्कूल में प्रोफ़ेसर (अर्थशास्त्र/ वित्त और लेखांकन) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	प्रोफ़ेसर (अर्थशास्त्र/ वित्त और लेखांकन)
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	शिक्षक
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37,400-67,000 के साथ अ.प.वे. रु.10,000
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधे **भर्ती** के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	55 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री और कम से कम

		55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री और अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. । (या) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य स्नातक डिग्री और सीए/आईसीडब्ल्यूए या कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री और वाणिज्य/ वित्त/ लेखांकन में पी.एच.डी.। और (ख) शैक्षणिक अथवा अनुसंधान की स्थिति में शिक्षण और/या अनुसंधान का दस वर्षों का न्यूनतम अनुभवए जिसमें से कम से कम 5 साल किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था / उद्योग में एक सह - प्राध्यापक के समकक्ष पद पर। प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र का प्रमाण। डॉक्टरेट स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का अनुभव आवश्यक है।
8.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
9.	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती /पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश वह अभ्यर्थी जिसने प्रतिनियुक्ति पर प्रोफ़ेसर के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है समावेश के लिए अर्ह है।
11.	पदोन्नति के प्रकरण में किस ग्रेड से किया जाना है।	1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय या उससे मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से प्रासंगिक क्षेत्र में पी.डी.एच.; और 2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहप्राध्यापक- के रूप में 6 वर्ष का अनुभव । 3. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों का प्रकाशन कार्य और/या अनुसंधान/संदर्भित जर्नल में नीति प्रपत्र का प्रमाण । 4. संतोषजनक प्रदर्शन और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन । 5. स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन ।
12.	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	**चयन समिति में निम्न होंगे :** (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) उपकुलपति

MadaCode

		(iii) आगन्तुक के एक नामिती (iv) अगर प्रोफसर हो तो, संबंधित विभाग के प्रमुख (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफसर नामित किया जाएगा (vi) प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहनेवाले तीन व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न चारों में से कम से कम किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक के नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के तीन नामिती ।
13.	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा। 2. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 3. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

IndiaCode

2015 का अध्यादेश **78**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-20 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

समुद्री प्रबंधन के स्कूल में प्रोफ़ेसर (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / पोर्ट और नौवहन प्रबंधन) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	प्रोफ़ेसर (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / पोर्ट और नौवहन प्रबंधन)
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	शिक्षक
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-4 रु.37,400-67,000 के साथ अ.प.वे. रु.10,000
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधे भर्ती के लिए लागू नहीं पदोन्नति के प्रकरण में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	55 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।

7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय **या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य स्नातक/ व्यवसाय प्रशासन स्नातक/ इंजीनियरी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक डिग्री और सीए/आईसीडब्ल्यूए या कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) में व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और रसद)/ व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए (पोर्ट और नौवहन प्रबंधन) या कोई भी समकक्ष व्यवसाय प्रशासन निष्णात/ एमबीए में स्नातकोत्तर डिग्री और प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी. ।** और (ख) **किसी** विश्वविद्यालय, **कॉलेज या मान्यता** प्राप्त अनुसंधान **संस्था** / उद्योग में **शैक्षणिक अथवा अनुसंधान की स्थिति** में सहायक प्रोफसर **के समकक्ष स्थिति पर शिक्षण और / या अनुसंधान का दस** वर्षों का **न्यूनतम** अनुभव। प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों/ प्रकाशनों के साथ प्रकाशन कार्य और/या संदर्भित जर्नल में अनुसंधान/ नीति प्रपत्र का प्रमाण। (या) **शिपिंग और/या पोर्ट और/या रसद उद्योग में प्रबंधन की स्थिति में विश्वविद्यालय में कम से कम पाँच वर्ष के लिए एक सह - प्राध्यापक के समकक्ष पद पर न्यूनतम 15 साल का पेशेवर अनुभव ।** प्रकाशन के रूप में निम्नतम 3 पुस्तकों **का** प्रकाशन कार्य और/या **अनुसंधान**/संदर्भित जर्नल में नीति प्रपत्र का प्रमाण ।
8.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
9.	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	**सीधी भर्ती** के लिए 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	**सीधी भर्ती** /पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश वह अभ्यर्थी जिसने प्रतिनियुक्ति पर **प्रोफ़ेसर** के रूप में 3 वर्ष का संतोषजनक कार्य किया है समावेश के लिए अर्ह है।

IndiaCode

11.	पदोन्नति के प्रकरण में किस ग्रेड से किया जाना है।	1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **या** उससे मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय **से प्रासंगिक क्षेत्र में पी.डी.एच.; और** 2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **में सहप्राध्यापक-** के रूप में 6 वर्ष का अनुभव । 3. प्रकाशन के रूप में निम्नतम 10 पुस्तकों **का** प्रकाशन कार्य और/या **अनुसंधान**/संदर्भित जर्नल में नीति प्रपत्र का प्रमाण । 4. **संतोषजनक प्रदर्शन और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन ।** 5. **स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट** स्तर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन ।
12.	चयन समिति/ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	चयन समिति में निम्न होंगे : (i) **कुलपति - अध्यक्ष** (ii) **उपकुलपति** (iii) आगन्तुक **के** एक नामिती (iv) अगर प्रोफसर हो तो, संबंधित विभाग **के प्रमुख** (v) कुलपति द्वारा एक प्रोफेसर नामित किया जाएगा (vi) प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले तीन व्यक्ति। चयन समिति का कार्यवृत्त, निम्न चारों में से कम से कम किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य नहीं होगा - आगन्तुक **के** नामिती, साथ–साथ, कार्यकारिणी समिति के तीन नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14.	टिप्पणी	1. **एमबीए/ व्यवसाय प्रशासन निष्णात की डिग्री और पी.एच.डी. की तुल्यता के बारे में** भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय **का निर्णय अंतिम होगा।** 2. **पूर्णकालिक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया समय अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा ।** 3. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े जाति/ शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों **को** उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 4. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश **79**

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-21 दिनांक 23-12-2015 के *तहत*]

[संशोधन का.प. 2016-34-24 दिनांक 23-05-2016 के *तहत*]

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पद का नाम	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पदों की संख्या	6
3.	वर्गीकरण	शैक्षिक पद, वर्ग "ए"
4.	वेतनमान	वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु.6,000 । **पुस्तकालय** सहायक के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे । अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.8,000 के लिए पात्र होंगे ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	पदोन्नति के प्रकरणों में चयन द्वारा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	आयु : 40 साल से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
7.	**सीधी भर्ती** के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	(i) पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान में या समकक्ष व्यावसायिक डिग्री में कम से कम 55 % अंक (या समकक्ष ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ एक लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड । (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण । तथापि पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान में एक पी.एच.डी. के साथ उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट दी गई है और

IndiaCode

		(iii) किसी भी विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त कॉलेज या एक प्रतिष्ठित पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरी असिस्टेंट या अधिक के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव। (iv) किसी भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में काम करने का अनुभव।
8	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश के प्रकरणों में क्या **सीधी भर्ती** के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ लागू होगी	पदोन्नति : आयु : नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
		प्रतिनियुक्ति : आयु : 45 साल से अधिक नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
		समावेश : आयु : 50 साल से अधिक नहीं शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : हां
9	परीवीक्षणावधि, अगर हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश सीधी भर्ती व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के बीच से किया जाएगा। पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश के प्रकरणों में भी राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा अर्हता आवश्यक है।
11.	पदोन्नति द्वारा **भर्ती** के प्रकरण में, पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेश किस ग्रेड से किया जाना है।	पदोन्नति : भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में कम से कम 10 साल से पुस्तकालय सहायक की नियमित सेवा के साथ शैक्षिक योग्यता को पूरा कर रहे लोगों के बीच से।
		प्रतिनियुक्ति : एक केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त शैक्षिक / अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय / राज्य सरकार या सरकार के उपक्रम, पोर्ट ट्रस्ट आदि में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण व्यक्ति को (या) वेतन बैंड रु.9,300-34,800 के साथ प.वे. रु.4,200 में कम से कम दस वर्ष का अनुभव वाले व्यक्ति ।
		समावेश : संतोषजनक कार्य और चयन समिति द्वारा उपयुक्तता मूल्यांकन के अधीन प्रतिनियुक्तिकार जिन्होंने मातृसंस्था से सहमति प्राप्ति के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कम से कम 3 वर्ष काम किया है।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति / भर्ती समिति मौजूद है और इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति - अध्यक्ष (ii) उपकुलपति

IndiaCode

		(iii) कार्यकारी परिषद् के एक नामिती (iv) कुलपति द्वारा नामित दो बाहरी विषय विशेषज्ञ ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष
		प्रतिनियुक्तियों के लिए प्रायोजक विभाग/ संस्था से संबंधित आयु लागू होगी
14.	टिप्पणी	1. भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े जाति अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में छूट दी जाएगी । 2. अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए मुख्य तिथि होगी ।

2015 का अध्यादेश 80

[कार्यकारी परिषद् संकल्प सं का.प. 2015-33-27 दिनांक 23-12-**2015 के** *rgr***]**

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसरों में से मेधावी छात्रों के लिए प्रदर्शन आधारित इनाम पर अध्यादेश

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसरों में से मेधावी छात्रों के लिए प्रदर्शन आधारित इनाम

1. ' प्रदर्शन के आधार पर इनाम ' योजना केवल भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसरों के छात्रों के लिए लागू है, और छात्रों को सेमेस्टर से सेमेस्टर प्रशंसनीय ढंग से प्रदर्शन करने के लिए जारी रखने के लिए प्रेरित करने; अनुशासन और अच्छे आचरण बनाए रखने; और मेधावी छात्रों के बैंक ऋण के बोझ को कम करने के उद्देश्य से है ।

2. जैसा कि यह एक पूरी तरह अकादमिक प्रदर्शन पर आधारित इनाम होगा और यह आर्थिक साधन से नहीं जोड़ा जाएगा ।

3. यह एक शुद्ध योग्यता के लिए पुरस्कार है, यह किसी अन्य स्रोत से एक छात्र को किसी भी छात्रवृत्ति/ शुल्क मुक्ति/ छात्रावस्था/ फैलोशिप आदि प्राप्त करने के लिए बाधा नहीं होगा ।

4. यह केवल एक सेमेस्टर के लिए होगा, तत्काल पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में अकादमिक प्रदर्शन पर आधारित किया जाएगा। यह इस प्रकार है कि इनाम किसी भी कार्यक्रम के प्रथम सत्र में नहीं दिया जाएगा; यह दूसरे सेमेस्टर से दिया जाएगा ।

5. यह केवल 2 साल या उससे अधिक अवधि के यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम के लिए लागू होगी । इस प्रकार 1 साल में समुद्री विज्ञान (डीएनएस) डिप्लोमा कार्यक्रम और मरीन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी जी डी एम ई) डिप्लोमा कार्यक्रम इसके द्वारा कवर नहीं किया जाएगा।

6. अनुदान के समय, छात्र की तत्काल पिछले सेमेस्टर परीक्षा या पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं से संबंधित कोई भी बकाया परीक्षा नहीं होना चाहिए ।

7. कोई भी छात्र जिन्हें रैगिंग या परीक्षा कदाचार के लिए किसी भी सजा का सामना करना पड़ा है, इस पुरस्कार के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाएगा । परिसर निदेशक से इस संबंध में एक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त किया जाएगा ।

8. तत्काल पिछले सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम के आधार पर, यूजी के साथ ही पीजी डिग्री प्रोग्राम में प्रत्येक बैच में शीर्ष स्थान रखने पर और कुल मिलाकर 75 % अंक और ऊपर निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का एक "प्रदर्शन के आधार पर इनाम" दिया जाएगा ।

9. योग्यता के क्रम में (अव्वल रहने वाले छात्र के अलावा अन्य) प्रत्येक बैच में प्रति व्यक्ति जिन उम्मीदवारों को रु.75,000 का एक प्रदर्शन के आधार पर इनाम मिलेगा, उन उम्मीदवारों की प्रत्येक कार्यक्रम में कुल संख्या नीचे तालिका के अनुसार होगी :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि (वर्ष)	सेमेस्टर्स की संख्या जिसके लिए प्रदर्शन आधारित इनाम दिया जाएगा	उन उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्हें प्रत्येक बैच में रु.75,000 का एक प्रदर्शन के आधार पर इनाम मिलेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
यू.जी. कार्यक्रम				
1	बीटेक (मैरीन इंजीनियरिंग)	4	7	30
2	बीटेक (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग)	4	7	4
3	विज्ञान (स्नातक नसमुद्री विज्ञा)	3	5	16
4	विज्ञान स्नातक (समुद्रतटीय विज्ञान)	3	5	2
5	विज्ञान स्नातक (जहाज निर्माण और मरम्मत)	3	5	2
कुल				54
पी.जी. कार्यक्रम				
1	प्रौद्योगिकी निष्णात/ एम.टेक. (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग) और प्रौद्योगिकी निष्णात/ एम.टेक. (ड्रेजिंग और हार्बर इंजीनियरिंग)	2	3	2
2	एमबीए (बंदरगाह और नौवहन प्रबंधन) और एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और रसद)	2	3	7
कुल				9
सर्वयोग				63

IndiaCode

10. दोनों प्रकार के "प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार" के लिए, दोनों एमबीए प्रोग्राम और दोनों एम.टेक. प्रोग्राम को एकल 'कार्यक्रम ' के रूप में माना जाएगा ।

11. रु.75,000 प्रति व्यक्ति के "प्रदर्शन के आधार पर इनाम" के लिए पात्र होने के लिए, छात्र को कुल मिलाकर 75% अंक मिलना चाहिए और ऊपर निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन इनाम दिया जाएगा ।

12. "अव्वल रहने वाले छात्र" और अन्य इनाम धारकों का निर्धारण करने के लिए विश्वविद्यालय को एक पूरी यूनिट के रूप में माना जाएगा; न कि व्यक्तिगत परिसरों को ।

13. "अव्वल" के लिए एक 'टाई' की स्थिति में सभी छात्रों को इनाम मिलेगा । रु.75,000 प्रति व्यक्ति के "प्रदर्शन के आधार पर इनाम" के पुरस्कार के लिए एक 'टाई' की घटना को, छात्रों द्वारा विशेष सत्र में बाह्य परीक्षण में सिद्धांत परीक्षा के लिए कुल अंक के अवरोही क्रम में व्यवस्था से हल किया जाएगा । यदि फिर भी एक 'टाई' है तो, छात्रों को उस सेमेस्टर के लिए उपस्थिति प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्था से हल किया जाएगा ।

14. छात्र भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को देय सेमेस्टर की फीस और अन्य देय राशि के खिलाफ अपने पात्र "प्रदर्शन के आधार पर इनाम राशि" को स्थापित करने के हकदार नहीं है । हालांकि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के पास अपने लंबित बकाया राशि, छात्र के "प्रदर्शन के आधार पर इनाम" से वसूली करने के लिए अधिकार सुरक्षित है।

15. इस योजना को शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के दिसंबर, 2015 परीक्षा से प्रभाव में लाया जाएगा ।

एस. वी. दुर्गा प्रसाद, पंजीयक

[विज्ञापन-III/4/असा./180(92)]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 15th July, 2016

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 47(1) of the Indian Maritime University Act 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

Ordinance 03 of 2014

[videExecutive Council resolution No.EC 2014-29-15 dated 31-10-2014]

Authorities competent to order Transfers and Postings of Faculty, Officers and other Employees

The following officers are empowered to order transfers and postings of staff working in Indian Maritime University:

Sl. No	Competent Authority	Can order Transfers and Postings of
1.	Vice Chancellor	Campus Directors; Professors, Associate Professors and Assistant Professors appointed on regular basis; Faculty appointed on contract basis; Group A Officers (i.e. non-teaching staff of the rank of Assistant Registrar and above) appointed on regular basis; non-teaching staff appointed on contract basis – within a Campus; from one Campus to another; from Headquarters to a Campus and *vice versa*.
2.	Registrar	Group B and Group C Officials (i.e. non-teaching staff of the rank of Section Officer and below) appointed on regular basis – from one Campus to another and from a Campus to IMU Headquarters and vice versa.
3.	Campus Director	Group B and Group C Officials (i.e. non-teaching staff of the rank of Section Officer and below) appointed on regular basis and of non-teaching staff appointed on contract basis - within the same Campus.

IndiaCode

The Vice Chancellor shall, for valid reasons to be recorded in writing, have the power to revise, modify or cancel any order passed by the Registrar or a Campus Director.

The Competent Authority can effect transfers and postings – within their allocated limits – of all employees of IMU whether appointed after 14.11.2008 (when IMU was created) or transferred to IMU (including "Deemed Deputationists") by virtue of Section 49 of the IMU Act 2008.

Ordinance 15 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-31-26 dated 26-06-2015
amended vide EC 2016-34-18 dated 23-05-2016]

Revaluation, Retotalling, Award of Grace Marks and Issue of Photocopies of Answer Scripts for IMU'sProgrammes.

1. REVALUATION

1.1 Application for Revaluation of answer scripts will be considered only for Examinations **other than** Post Graduate Examinations, Practical Examinations, field work, internal assessment, thesis submitted in lieu of a paper and Examinations for which there is provision for two independent (double) valuations.

1.2 Application for Revaluation shall be made in the prescribed form and to be sent through respective campuses/colleges.

1.3 Revaluation can be admitted only if the candidate had failed in not more than five papers out of the total number of papers written by the candidate during that examination session.

1.4 A fee of *Rs.500/-* will be charged per paper for Revaluation in a failed paper. If different sections of questions in a Question Paper are answered in different answer books all such answer books shall be treated together as a single unit/paper. The fee shall be remitted by way of SBI – Core Banking Challan or in such other manner prescribed by the Indian Maritime University.

1.5 Application for Revaluation should reach the Office of the Controller of Examinations within *15 days* from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.

1.6 Applications received after the last date prescribed will not be considered under any circumstances. Incomplete forms and forms not accompanied by relevant documents may be rejected without assigning any reason whatsoever.

1.7 Fee once remitted for Revaluation of answer scripts will not be refunded.

1.8 If a candidate gets less marks in the Revaluation than in the first, the original mark may be retained. However, even in case a candidate gets higher marks in the Revaluation but the status of the candidates' result has not changed, only the original marks will be retained and the result declared as "No change".

1.9 A panel of subject experts having more than five years of teaching/industry experience has to be prepared for each subject by the Controller of Examinations and the same has to be approved by the Vice Chancellor. This panel has to be reviewed every three years.

1.10 The paper for Revaluation should not be valued by the same examiner who has done the first valuation.

1.11 The paper for Revaluation should not be revalued by any Examiner who belongs to the same *campus/college* where the candidate studied before appearing for that paper except where a Programme is conducted at only One Campus/College.

1.12 Not more than 25 papers per session should be given to an Examiner for Revaluation.

1.13 If the work of an Examiner leads to an increase or decrease of marks in Revaluation in more than 20% of the scripts, explanation shall be called for from the concerned Examiner through proper channel and the reply will be placed before the Vice-Chancellor for further action.

1.14 The Deputy Registrar shall maintain a list of Examiners against whom action has been taken under these guidelines. Such debarred examiners shall not be considered for appointments in connection with any examination for a period of 3 years.

1.15 Where there is variation of more than 15 marks out of 100 between the first and second valuation, the paper shall be sent for third valuation. The final marks shall be the "average of third valuation and the nearest among the first and second valuation".

1.16 The Revaluation results are to be published within one month from the date of receipt of the applications.

1.17 All works relating to Revaluation will be treated as extremely confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.

1.18 Remuneration for Revaluation will be paid at the approved rates of Indian Maritime University.

1.19The Directors/Principals of the campuses/colleges should make available the Examiners required for Evaluation (including Revaluation/Re-totalling) on top priority basis on the day and date allotted by the Controller of Examinations.

1.20 Teachers of the affiliated colleges are required to attend the Evaluation (including Revaluation/Re-totalling) work on top priority basis. If the Principal of an affiliated college fails to relieve the teacher for Evaluation (including Revaluation/Re-totalling) or the teacher fails to attend the work of Evaluation (including Revaluation/Re-totalling), then the concerned teachers would be debarred for three years. This would also have an adverse effect on the continuation of the affiliation of the college.

2. RE-TOTALLING

2.1 Application for Re-totalling of answer scripts will be considered for Under Graduate Examinations, Post Graduate Examinations, other than Practical Examinations, field work, internal assessment, thesis submitted in lieu of a paper.

2.2 Application for Re-totalling shall be made in the prescribed form and to be sent through respective head of Institutions.

2.3 A fee of *Rs.250/-* will be charged per paper for Re-totalling. The fee shall be remitted by way of *SBI-Core Banking Challan* of Indian Maritime University.

2.4 Fee once remitted for Re-totalling of answer scripts will not be refunded.

2.5 All works relating to Re-totalling will be treated as extremely confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.

2.6 Application for Re-totalling should reach the Office of the Controller of Examinations within *15 days* from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.

2.7 *The Re-totalling will be done by the Faculty to be nominated by the Controller of Examinations.*

2.8 Re-totalled marks will be taken as the final marks and the marks secured by the candidate in the original valuation will be changed and results published accordingly.

2.9 If the Re-totalled marks are the same or less than the marks secured in the original valuation, the status of the results declared will remain unchanged.

2.10 The Re-totalling results to be published within 15 days from the date of receipt of the applications.

3. GRACE MARKS

3.1 Grace marks up to 5 marks may be awarded in one or more papers in all semesters. This decision will be taken by the Examination Committee.

4.ISSUE OF PHOTOCOPIES

4.1Photocopies of answer scripts will be issued to failed candidates only at a flat fee of **Rs.80/-** per subject irrespective of the number of pages and inclusive of postal charges.

4.2 The application is made within 15 days from the date of publication of Examination results.

4.3 The fee shall be remitted by way of SBI-Core Banking Challan of Indian Maritime University.

Ordinance 19 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-31-30 dated 26-06-2015
amended vide EC 2016-34-18 dated 23-05-2016]

Fees for Examinations, Convocation and various other purposes

for students of IMU Campuses and Affiliated Institutes

IndiaCode

Sl. No.	Particulars	Proposed Fee (Rs.)
A) Examination and other related fees		
(I) Under Graduate Courses (Semester and Non-Semester system)		
(i)	Each written Examination paper	300 500 (for arrear paper)
(ii)	Each Practical Examination – 3 hours	200 300 (for arrear paper)
(iii)	Project work	500
(II) Post Graduate Courses		
(i)	Each written paper	400 500 (for arrear paper)
(ii)	Each practical	200 300 (for arrear paper)
(iii)	Dissertation/Project	500
(iv)	Viva voce	250
(III) Diploma Courses		
	Each written paper / practical	200 300 (for arrear paper)
(IV) Certificate Courses		
(i)	Certificate in courses examinations	
	Each written paper	150 200 (for arrear paper)

(V) Other fees related to Examinations		
(i)	For obtaining Photo copy of each Answer Script irrespective of the number of pages	**80**
(ii)	Re-totalling per Answer Script	250
(iii)	Revaluation fee per Answer Script	500
(iv)	For issuing statement of marks for each examination for each appearance	150
(v)	For issue of duplicate statement of marks for each examination for each appearance	200 + Rs.100 search fee for each previous year
(vi)	Consolidated statement of marks	500
(vii)	Provisional Certificate	250
(viii)	Duplicate Provisional Certificate	500
(ix)	Transcript fee	
	One copy	500
	Every additional copy	300
(x)	Submission of Thesis	
	Ph.D	2,000
	Extension of time to submit Ph.D. Thesis will be granted on payment of penalty fees as follows:	
	Penalty fee for submission of Ph.D thesis within 12 months after the lapse of the stipulated period.	1,000
	Penalty fee for submission of Ph.D. thesis beyond 12 months and up to 36 months after the lapse of the stipulated period.	2,500
	Penalty fee for submission of Ph.D. thesis beyond 36 months after the lapse of stipulated period.	5,000
B) Convocation and other related fees		
	Fee for issue of degree in a Convocation conducted by the University	
(a)	Under Graduate degrees/diplomas – In person	500
(b)	Under Graduate degrees/diplomas – In absentia	500
(c)	Post Graduate degrees/diplomas – In person	1,000
(d)	Post Graduate degrees/diplomas – In absentia	1,000
(e)	Ph.D. – In person	2,000
(f)	Ph.D. – In absentia	2,000
(g)	Any other degree/diploma/certificate	
	- In person	500
	- In absentia	500
(h)	Duplicate Degree	Convocation fee + Rs.100 search fee for each previous year
C) Admission Registration/Counselling Fee and Programme Fee		
(i)	One-time Admission Registration/ Counselling fee, payable at the time of Admission by all new students of	10,000

IndiaCode

	IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management/sponsored candidates and those who get admission into 2nd year by Lateral Entry.	
(ii)	Programme Fee, payable every year by all students of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management/sponsored candidates and those who get admission into 2nd year by Lateral Entry. It is an integral component of the total Annual Fee collected from a student. It shall be the responsibility of the Campus / Institute to collect and transfer this fee to IMU Headquarters at the beginning of every academic year. The Programme Fee is meant to defray the expenses involved in the development of new programmes and curricula; upgradation/improvement of existing programmes and curricula; development of web-based teaching materials and other innovative teaching aids; and related expenses, including expenses of various University authorities engaged in such development/ upgradation/ improvement.	
a)	Post Graduate/P.G Diploma Courses	25,000 per year per student
b)	Under Graduate /Diploma/ Certificate Courses	25,000 per year per student
D) Other fees		
(i)	Condonation Fee for Attendance	2000
(ii)	Condonation Fee for Break in Studies	2000 for break of 1 year; 5,000 for break of 2 years; 9,000 for break of 3 years;
(iii)	Fees for effecting change of names or date of birth of Candidates in the Records of the University and in Certificate/Diplomas	500
(iv)	For obtaining a Migration Certificate	200
(v)	For obtaining duplicate Migration certificate	300
E) Remuneration for Question paper setters and related activities		
(i)	Question paper setting	
	- Common Entrance Test (CET)	2500
	- Other than CET	1500
(ii)	Preparation of Answer Key	
	- Common Entrance Test (CET)	2500
	- Other than CET	1500
(F) Remuneration for Exam Duties		
(i)	Flying Squad	1500 per day.
(ii)	Chief Superintendent	1500*
(iii)	Observer [Group A]	1500* per day
(iv)	Observer [Group B & C]	1250* per day
(v)	Invigilation/Hall Superintendent (per session) - for every 25 students.	500 per session
(vi)	Supporting Clerical – for every 100 students.	200 per day

India Code

(vii)	Attender – for every 100 students.	100 per day
(viii)	Remuneration for evaluation of Practical Exams (incl. Record & Viva)	15 per student - each for internal and external Examiners.
(ix)	Remuneration to Examiners for Thesis/Dissertation and Viva Voce	
	PG Courses	150 per student per examiner for Dissertation and 50 for Viva Voce
	Ph.D.	1,000 per external Examiner.
G)	**Remuneration for Evaluation and Related duties**	
(i)	Co-ordinators / Chairman	1000 per day (subject to maximum of Rs.5000 per semester)
(ii)	Evaluation Remuneration	50 per answer script (subject to a ceiling of 25 answer scripts per session or 50 answer scripts per day)
(iii)	Supporting Clerical staff	200 per day
(iv)	Attender	100 per day

() If the number of students appearing in a particular Examination Centre is less than 10, then the Remuneration payable will stand reduced by 50%.*

Note: The Notification published in Chapter-III 'Schedule of Fees for various Examinations and for other various general purposes' of the Gazette of India No. 38, dated January 28, 2010 is hereby repealed.

IndiaCode

Ordinance 22 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-31-34 dated 26-06-2015
amended vide EC 2016-34-19 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor in the School of Nautical Studies

(1)	Name of post	Assistant Professor
(2)	No. of posts	18
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 withAGPRs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance. One advance increment shall be given for every two years of sea service at Management level subject to a ceiling of ten advance increments.
(5)	Whether Selection postor Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for directrecruitment	Not exceeding 43 years (Relaxableby Vice Chancellor up to2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	**Essential:** (a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency; (b) Sailing experience for a minimum period ofsix months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and (c) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from the Eligibility Test. Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra Master

		Certificate of Competency *obtained prior to 1.1.2014*shall be treated as equivalent to Ph.D for recruitment purposes only.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Twoyears
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	The Selection Committee will consist of: (i) Vice Chancellor (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. 2. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final. 3. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Note: The Notification published at Serial No. 6 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters in the Gazette" of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

Ordinance 24 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-31-34 dated 26-06-2015
amended vide EC 2015-33-06 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the post of Professor in the School of Nautical Studies

(1)	Name of post	Professor
(2)	No. of posts	7
(3)	Classification	Faculty
(4)	ScaleofPay	PayBand-4; Rs.37,400–67,000 with AGP Rs.10,000. One advance increment for every four years of sea service at Management level. Provided the benefit has not been availed of at the time of

		recruitment as Assistant Professor/Associate Professor.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selection in case of Promotion.
(6)	Age limit for direct recruitment	Notexceeding58 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to2 years in deserving cases)
(7)	Educationalandotherqualificationsrequired fordirectrecruitment	**Essential:** *Category I – From Mariners with Ph.D* (a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency with a minimum Sailing experience of six months at Management level within the meaning of STCW convention in force; and (b) A Ph.D. Degree in a relevant discipline offered by IMU or by any University recognised by IMU. Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra Master Certificateof Competency obtained *prior to 1.1.2014* shall be treated as equivalent to Ph.D for recruitment purposes only; and (c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of six months indicated in (a) above], (ii) Teaching Nautical Science in a recognised maritime institution, (iii) Nautical Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society. (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company. (v) Pilot in a Major Port, (d) Evidence of published work with a minimum of 3 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. *Desirable*: Guidance of students at P.G or Ph.D level. [or] *Category II – From Associate Professors with Ph.D* (a) Ph.D degree in the relevant discipline offered by IMU or any University recognized by IMU; and (b) Four years of experience as Associate Professor in Nautical Science in IMU or any University recognized by IMU. (c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. *Desirable*: Guidance of students at P.G or Ph.D level.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications:Yes
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation /Absorption.

		A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	Incaseof promotion, grade from which to be made	(a) A Ph.D. Degree in relevant discipline offered by IMU or by any University recognised by IMU; and (b) Six years of experience as Associate Professor in IMU. (c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. (d) Subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee. *Desirable*: Guidance of students at P.G or Ph.D level.
(12)	Composition of the Selection Committee/ DepartmentalPromotionCommittee.	The Selection Committee will consist of : (i) Vice Chancellor (ii) Pro Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned, if he is a Professor. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any three members of the following four- Visitor's nominee plus the three nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off fromo n-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. 2. IMU's decision as to - (i) whether the Ph.D is in the relevant discipline, and (ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship-managing company or a maritime training institute should be counted or not, (iii) whether the publications in refereed journals should be accepted and what weightage should be given to them, shall be final. 3. The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service. 4. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/ PwD in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 5. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Note: The Notification published at Serial No.4 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

Ordinance 25 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-31-35 dated 26-06-2015
amended vide EC 2016-34-19 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor in the School of Marine Engineering and Technology

(1)	Nameof post	Assistant Professor
(2)	No. of posts	24
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 with AGP Rs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance. One advance increment shall be given for every two years of sea service at Management level subject to a ceiling of ten advance increments.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable.
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 43 years (Relaxableby Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	**Essential:** (a) MEO Class I (Motor) Certificateof Competency; (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and (c) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from the Eligibility Test. Provided that for recruitments made till 31.12.2017, the Extra First Class Certificate of Competency *obtained prior to 1.1.2014*shall be treated as equivalent to Ph.D for recruitment purposes only.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	The Selection Committee will consist of : (i) Vice Chancellor (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by

IndiaCode

		the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. Sailing experience is obereckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. 2. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final. 3. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Note: The Notification published at Serial No.6in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

Ordinance 32 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-31-41 dated 26-06-2015

amended vide EC 2016-34-05 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Hostel Warden

1	Name of the Post	Hostel Warden
2.	Number of Posts	12
3.	Classification	Group C
4.	Scale of Pay	PB1 – Rs.5200-20200 GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving/retired personnel of Indian Navy/Coast Guard/Indian Army/Indian Air Force. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	***Essential*** : (1)Petty Officer in Seaman branch from Indian Navy / Coast Guard [or] (2) Havildar from Indian Army [or] (3) Sergeant in Indian Air force.
8.	Whether Age and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case Deputationists?	Age: Yes Other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits.

10	Method of recruitment	By Direct Recruitment / Deputation / Absorption. Selection of candidates will be done through a Skill Test. (There will be no interview).
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	**Deputation**: A person holding an analogous post on regular basis. **Absorption**: A deputationist who has worked as Warden satisfactorily in IMU subject to concurrence from his parent organization and assessment of suitability by the Selection Committee.
12	Composition of Selection Committee	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson. (ii) Campus Director concerned. (iii) One nominee of the Vice Chancellor.
13	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
14	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 33 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-31-41 dated 26-06-2015

amended vide EC 2016-34-24 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Library Assistant

1	Name of the Post	Library Assistant
2.	Number of Posts	12
3.	Classification	Group B
4.	Scale of Pay	PB 2 Rs.9300 – 34800 GP –Rs.4200
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection Post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	***Essential***: A Bachelor's degree in Library and Information Science with at least 55% marks or its equivalent grade. Two years' experience as Library Assistant or equivalent in a University/College library.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes/ deputationists.	**Deputation**: Age: Yes. Educational and other qualifications: Yes. **Promotion**: Not applicable.
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion and percentage of	By Direct Recruitment / Deputation. Selection of candidates will be done through a Skill Test.

	the vacancies to be filled by various methods.	(There will be no interview).
11	In case of recruitments by promotion, grade from which promotion to be made	Not Applicable
12	Composition of Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	The selection Committee will consist of: i. Registrar as Chair person ii. Two nominees of the Vice Chancellor as Members
13	Age of superannuation	60 years.
14	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Note: The Notification published at Serial No.51in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

Ordinance 39 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-32-16 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-08 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant

1	Name of the Post	Assistant
2.	Number of Posts	41
3.	Classification	Ministerial Post, Group 'C'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400.
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment/ Deputation/ Absorption. By Selection in case of Promotion from Junior Assistant.
6.	Age limit for direct recruits	Age: Not more than 35 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	*Essential:-* *Educational Qualification:-* A Bachelor's Degree from a recognized University with a minimum of 50% of marks or its equivalent grade. *Desirable:-* Working knowledge of Information & Communication Technology.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees / Deputationists/Absorption?	**Promotion:** Age: No Educational and other Qualification: A Bachelor's Degree from a recognized University. **Deputation:** Age: 40 years Educational Qualification: Yes **Absorption**: Not more than 43 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment/Deputation /Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test.(There will be no Interview). Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.

11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	**Promotion:** From Junior Assistants with 5 years of regular service with a Bachelor's Degree from a recognized university. **Deputation:** A person holding an analogous post on regular basis (or) at least 5 years' experience as Junior Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.1900 in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. **Absorption**: A Deputationist who has worked as Assistant satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization. The same educational qualification as in the case of direct recruits shall apply for Deputation/Absorption.
12	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee where recruitment is done on Deputation or Promotion or Absorption.	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice Chancellor.
13.	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply subject to a maximum of 60 years.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. (3) The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

Note: The Notification published at Serial No.23 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

Ordinance 40 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-32-16 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-08 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant(Finance)

1	Name of the Post	Assistant (Finance)
2.	Number of Posts	26
3.	Classification	Ministerial Post, Group 'C'
4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400.
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment/ Deputation/Absorption. By Selection in case of Promotion from Junior Assistant.
6.	Age limit for direct recruits	*Age: Not more than 35 years.* (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	*Essential:-* *Educational Qualification*: A Bachelor's Degree from a recognized University with a minimum aggregate of 50% marks or its equivalent grade in Commerce or Mathematics or Statistics. *Desirable:-* Working knowledge of Information & Communication Technology, particularly in Accounting Software.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees /	**Promotion:** Age: No Educational and other Qualification: A Bachelor's Degree from a

	Deputationists/ Absorption?	recognized University in Commerce or Mathematics or Statistics. **Deputation:** Age: Not more than 40 years Educational Qualification: Yes. **Absorption**: Age: Not more than 43 years. (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment/Deputation /Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test.(There will be no Interview). Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	**Promotion:** From Junior Assistants with 5 years of regular service in the Finance & Accounts wing with a Bachelor's Degreefrom a recognized University in Commerce or Mathematics or Statistics. **Deputation:** A person holding analogous post on regular basis (or) at least 5 years' experience as Junior Assistant or equivalent post working in the Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.1900 in the Finance & Accounts wing in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. **Absorption**: A Deputationist who has worked as Assistant satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization. The same educational qualification as in the case of direct recruits shall apply for Deputation/Absorption.
12	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee where recruitment is done on Deputation or Promotion or Absorption.	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice Chancellor.
13.	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. (3) The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

Ordinance 41 of 2015

[videExecutive Council resolution No.EC 2015-32-16 dated 21-08-2015
amended vide EC 2015-33-06 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the post of Stenotypist

1	Name of the Post	Stenotypist
2.	Number of Posts	7
3.	Classification	Secretarial Post, Group 'C'

4.	Scale of Pay	Pay Band of Rs.5200-20200 with a Grade Pay of Rs.2400.
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post.
6.	Age limit for direct recruits	Age: Not more than 30 years. (Relaxableupto 2 years by Vice Chancellor in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	*Essential:-* *Educational & Technical Qualifications*: (i) A Bachelor's Degree from a recognized University. (ii) Shorthand Lower/Junior Grade in English [80 words per minute] (iii) Typewriting Higher/Senior Grade in English [45 words per minute]. (iv) Proficiency in Information & Communication Technology. *Desirable:-* Typing in Hindi.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists/ Absorption?	**Deputation:** Age: Not more than 40 years Educational& Technical Qualification: Yes. **Absorption**: Age: Not more than 43 years Educational & Technical Qualification: Yes. (Age limit for Deputation/Absorption relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment only
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment/ Deputation /Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Skill Test in Typing and Shorthand. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Skill Test. (There will be no Interview). Online Screening Test is not necessary in the case of Deputation and Absorption.
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	**Deputation:** A person holding analogous post on regular basis in any Central/State University or autonomous educational/ research institution, Central/ State Government or Government undertaking, Port Trust, etc. **Absorption**: A Deputationist who has worked as Steno-typist satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization. The Executive Council reserves the right to relax the service qualification, if fully eligible candidates are not available to fill up the vacancies.
12	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee where recruitment is done on Deputation or Promotion or Absorption.	(i) Registrar as Chairperson. (ii) Two nominees of the Vice Chancellor.
13.	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, relevant age of the Sponsoring Department/Agency will apply.
14.	Remarks	(1) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.

		(2) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. (3) The Vice Chancellor is authorised to devise an appropriate Computer-based (Online) Screening Test.

Note: The Notification published at Serial No.24 in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

Ordinance 42 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Electrical and Electronics Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Electrical and Electronics Laboratory
2.	Number of Posts	4
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP – Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age limit for direct recruits	1) Not exceeding 35 years. 2) Not exceeding 45 years for serving/ retired personnel of Indian Navy/Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: 3-year Diploma in Electrical and Electronics Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education (or) Petty Officer in Electrical branch of Indian Navy/ Coast Guard. **Desirable**: Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Practical test–cum-interview
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 43 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Seamanship Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Seamanship Laboratory
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non - Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving /retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: Petty Officer in Seaman Branch of Indian Navy / Coast Guard.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	SkillTest (There will be no interview).
14	Physical Fitness	The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements of the Indian Maritime University. There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachoma and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions. The vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. Glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. Defective colour vision tested by ISHIARA test chart is a disqualification.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
16	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 44 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Navigation Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Navigation laboratory
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 –Rs.5200 – 20200 GP –Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non - Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving /retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. Not exceeding 40 years for others. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: Petty Officer in Seaman Branch (Radar Plotter Rating) from Indian Navy or Coast Guard or Navigating Watch Keeping Officer (NWKO) from Near Coastal Voyage (NCV). **Desirable**: Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable.
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment /Deputation from serving Petty Officer in Seaman Branch (Radar Plotter rating) from Indian Navy or Coast Guard.
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable.
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Physical Fitness	The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements of the Indian Maritime University. There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachoma and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions. The vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. Glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. Defective colour vision tested by ISHIARA test chart is a disqualification.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
16	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/Physically handicapped

		candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 45 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Naval Architecture Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Naval Architecture Laboratory
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	1) Not exceeding 35 years 2) Not exceeding 45 years for serving/ retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: 1) 3-year Diploma in Mechanical Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education (or) (2) Diploma in Ship Building Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education (or) (3) Bachelor of Science Degree (Ship Building & Repair) from IMU (or) (4) Petty Officer in Ship Wright from Indian Navy / Coast Guard.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 46 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for Senior Technician for Hydraulics and Pneumatics Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Hydraulics and Pneumatics Laboratory
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: 3-yearDiploma in Mechanical Engineering / Production Engineering / Automobile Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education **Desirable:** Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson (ii) Campus Director concerned (iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicappedcandidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 47 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Applied Mechanical Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Applied Mechanical Laboratory
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"

4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: 3-yearDiploma in Mechanical Engineering / Production Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education **Desirable:** Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson (ii) Campus Director concerned (iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Print Code

Ordinance 48 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Instrumentation, Automation and Control Engineering Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Instrumentation, Automation and Control Engineering Laboratory
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: 3-yearDiploma in Instrumentation/Automation/Control

		Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education **Desirable:** Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson (ii) Campus Director concerned (iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 49 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for Senior Technician for the post of Thermodynamics and Boiler Chemistry Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Thermodynamics and Boiler Chemistry Laboratory
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: 3-yearDiploma in Mechanical Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education **Desirable:** Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years

10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson (ii) Campus Director concerned (iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 50 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for Senior Technician for the post of Nautical Physics Laboratory

1	Name of the Post	Senior Technician for Nautical Physics Laboratory
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: B.Sc. in Physics from a recognized University **Desirable:** Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson (ii) Campus Director concerned (iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor

13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 51 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for ,Junior Laboratory Assistant (Chemistry)

1	Name of the Post	Junior Laboratory Assistant (Chemistry)
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: B.Sc. in Chemistry from a recognized University **Desirable:** Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: Registrar as Chairperson (ii) Campus Director concerned (iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 52 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-07 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of
Junior Laboratory Assistant (Physics)

1	Name of the Post	Junior Laboratory Assistant (Physics)
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs. 5200 – 20200, GP –Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: B.Sc. in Physics from a recognized University **Desirable:** Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: (i) Registrar as Chairperson (ii) Campus Director concerned (iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 53 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-08 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for
Fitting and Basic Workshop

1	Name of the Post	Senior Technician for Fitting and Basic Workshop
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP –Rs.2400

5.	Whether selection post or non-selection post	Non - Selection post
6.	Age limit for direct recruits	1) Not exceeding 35 years 2) Not exceeding 45 years for serving/ retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: 3-year Diploma in Mechanical Engineering / Production Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education (or) Petty Officer of Mechanical Engineering branch (POME) from Indian Navy or Coast Guard. **Desirable**: Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment / Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 54 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-08 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Marine Workshop (Diesel/Power & Maintenance)

1	Name of the Post	Senior Technician for Marine Workshop(Diesel /Power & Maintenance)
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP – Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection	Non-Selection post

	post	
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving /retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. Not exceeding 40 years for others. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential** : (i)Marine Fitter from Merchant Navy (or) (ii)Petty Officer of Marine Engineering branch from Indian Navy/ Coast Guard (or) (iii)Near Coastal Voyage (NCV) class IV Engineer.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Physical Fitness	The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements of the Indian Maritime University. There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachoma and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions. The vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. Glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. Defective colourvision tested by ISHIARA test chart is a disqualification.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
16	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 55 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-08 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Machine Shop

1	Name of the Post	Senior Technician for Machine Shop
2.	Number of Posts	8
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP – Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential** : (i) 3-year Diploma in Mechanical Engineering / Production Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education and work experience for a period of 1 year in relevant field. (or) (ii) ITI Trade Certificate under Apprentices Act, 1961 with 3 years' experience in relevant field.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made.	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	(i) The upper age-limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 56 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-08 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of
Senior Technician for Welding and Gas Cutting Workshop

1	Name of the Post	Senior Technician for Welding and Gas Cutting Workshop
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP – Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post

6.	Age-limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential** : (i) 3 year Diploma in Mechanical Engineering from an institute approved by the All Indian Council of Technical Education and work experience for a period of 1 year in relevant field. (or) (ii) ITI Trade Certificate under Apprentices Act, 1961 with 3 years' work experience.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	1. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 2. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 57 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-08 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Senior Technician for Boiler Shops

1	Name of the Post	Senior Technician for Boiler Shop
2.	Number of Post	1
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP – Rs.2400
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age-limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential** : First class Boiler Attendant certificate of competency issued by Central / State Government **Desirable**:

		Relevant work experience for a period of 1 year.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: No Educational & other Qualifications: Yes
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
15	Remarks	1. The upper age-limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 2. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

India.gov.in

Ordinance 58 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-09 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Fire Fighting Instructor

1.	Name of the Post	Fire Fighting Instructor
2.	Number of Posts	3
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non- Selection post
6.	Age-limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving /retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: Petty Officer in Engineering branch from Indian Navy / Coast Guard.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational& other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment / Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer	Not Applicable

	to be made	
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Physical Fitness	The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements of the Indian Maritime University. There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachoma and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions. The vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. Glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. Defective colour vision tested by ISHIARA test chart is a disqualification.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
16	Remarks	(i) The upper age-limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Internet

Ordinance 59 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-09 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Fire Fighting Helper

1	Name of the Post	Fire Fighting Helper
2.	Number of Posts	2
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB1 Rs.5200 – 20200, GP –Rs.1900
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age-limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving /retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: Seaman from Merchant Navy/ Indian Navy/ Coast Guard.
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational& other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/	The Selection Committee will consist of:

	Recruitment Committee exist and what is its composition?	i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Physical Fitness	The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements of the Indian Maritime University. There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachoma and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions. The vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. Glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. Defective colour vision tested by ISHIARA test chart is a disqualification.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
16	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 60 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-09 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of 'Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boats' (PSCRB) Training Officer

1	Name of the Post	Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boats(PSCRB) Training Officer
2.	Number of Post	1
3.	Classification	Group "B"
4.	Scale of Pay	PB2 Rs.9300 – 34800, GP –Rs.4200
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving /retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: (1) Chief Petty Officer in Seaman branch from Indian Navy / Coast Guard. (or) (2) First Mate Near Coastal Voyage (NCV).
8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/ Deputation

11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Physical Fitness	The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements of the Indian Maritime University. There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachoma and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions. The vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. Glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. Defective colour vision tested by ISHIARA test chart is a disqualification.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
16	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 61 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-09 dated 21-08-2015
amended vide EC 2016-34-36 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of 'Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boats' (PSCRB) Laboratory Instructor

1	Name of the Post	Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boats(PSCRB) Laboratory Instructor.
2.	Number of Post	1
3.	Classification	Group "C"
4.	Scale of Pay	PB2 Rs.5200 – 20200, GP –Rs.2800
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-Selection post
6.	Age-limit for direct recruits	Not exceeding 45 years for serving /retired personnel of Indian Navy/ Coast Guard. Not exceeding 40 years for others. (Relaxable by the Vice Chancellor by 2 years in deserving cases).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential**: (1) Petty Officer in Seaman branch from Indian Navy / Coast Guard. (or) (2) Second Mate Near Coastal Voyage (NCV).

8.	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	Age: Yes Educational & other Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any	Two years
10	Method of recruitment	Direct Recruitment/Deputation
11	In case of recruitments by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ absorption /transfer to be made	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	The Selection Committee will consist of: i) Registrar as Chairperson ii) Campus Director concerned iii) One subject expert to be nominated by the Vice Chancellor.
13	Mode of selection	Skill Test (There will be no interview).
14	Physical Fitness	The candidate must be physically fit and should meet the medical requirements of the Indian Maritime University. There should not be any degree of squint or any morbid condition of eyes or of the eyelids that is liable to aggravate or recur, pressure of trachoma and iris complication sequela. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions. The vision should be 6/6 (normal) in each eye separately. Glasses may be allowed but eye sight in each eye beyond plus/minus 2.5 will be rejected. Unaided vision should be 6/12 in both eyes minimum or 6/9 in the good eye and 6/12 in the other eye minimum. Defective colour vision tested by ISHIARA test chart is a disqualification.
15	Age of superannuation	60 years. For Deputationists, the relevant age of the sponsoring department/agency will apply.
16	Remarks	(i) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (ii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 62 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-17 dated 21-08-2015]

Ordinance prescribing the Delegation of Financial Powers to the Officers of the Indian Maritime University

Sl. No.	Item of Expenditure and Extent of Delegation of Financial Powers	Administrative Approval / Expenditure Sanction by	Remarks
A. (i) Expenditure out of 'Plan Funds" sanctioned by GoI.			
(a)	*Civil Works sanctioned under Plan funds and* ***entrusted to CPWD*** *(including Renovation, Repairs and Maintenance of Buildings, Roads, etc.)*		---
	(i) If the CPWD's proposal is within the Fund allotted for the	Campus Director or Registrar, as the	

	specific item of Campus work or Headquarters work as per the approved Plan	case may be	
	(ii) If the CPWD's proposal exceeds the Fund allotted as per the approved Plan in respect of Campus work/ Headquarters work warranting supplementary fund from IMU's Campus Development Fund or University Development Fund up to Rs.10 Crore per work	Vice Chancellor.	
	(iii) Internal re-allocations among the works/Campuses within the overall Plan Fund.	Vice Chancellor.	
(b)	*Purchase/Upgradation of Equipment, Machinery, Furniture, Computer Hardware and Software, Office Automation and related items sanctioned under Plan funds.*		1. Specifications for high-value and highly technical items such as Simulators, Equipment, Machinery etc. will be prescribed by the 'High Power Experts Committee' constituted by the Vice Chancellor. 2. The Campus Director will approve the tenders uptoRs. 1 Crore based on the recommendation of the 'Purchase Committee' constituted for the Campus by the Vice-Chancellor. 3. The Vice-Chancellor will approve the tendersuptoRs. 10 Crore for IMU Head Quarters based on the recommendation of the 'Purchase Committee' constituted for Head Quarters by the Vice-Chancellor.
	(i) Up to Rs.1 Crore per item – in respect of Campuses.	Campus Director	
	(ii) If the value of the equipment etc. required for Campuses is between Rs.1 Crore and Rs.10 Crore per item & in respect of all Headquarters' purchases of equipment etc. up to Rs.10 crore per item.	Vice Chancellor.	
	(iii)Internal re-allocations among the Campuses within the overall Plan Fund.	Vice Chancellor.	
(c)	*Books/Journals/ Magazines etc. for Libraries (Other than (d) below)*		The choice of books, journals etc. will be recommended by '*Library Purchase Committee*' constituted by Vice Chancellor.
	(i) Up to Rs.50 lakhs per year– in respect of Campuses.	Campus Director	
	(ii) If the value of the purchase of books etc. required for Campuses is between Rs.50 lakhs and Rs.5 Crore per year & in respect of Headquarters' purchases of books etc. up to Rs.5 crore per year.	Vice Chancellor.	
	(iii)Internal re-allocations among the Campuses within the	Vice Chancellor.	

Indiacode

	overall Plan Fund		
(d)	*E-Books/E-Journals/ E-Magazines etc. for Libraries*		1. As e-books, e-journals, e-magazines etc. have to be shared by Head Quarters as well as various Campuses, the subscriptions need to be centralized. 2. The Vice Chancellor may constitute a 'High Power Experts Committee' to assist him in the digitization of the Library. 3. The choice of the e-books, e-journals, e-magazines etc. will be recommended by the '*Library Purchase Committee*' constituted by the Vice Chancellor.
	Subscription to online e-Books/e-Magazines/e- Journals etc. up to Rs. 10 Crore in a year	Vice Chancellor.	
B. Expenditure out of "Other than Plan Funds"			
(a)	*Physical Infrastructure Works including Renovation, Repairs and Maintenance of Buildings etc.*		1.Where Works are entrusted to CPWD: Administrative Approval & Expenditure Sanction by the Campus Director/Vice Chancellor within their respective limits will be based on the recommendations of the 'Works Committee' constituted by the Vice Chancellor. 2.Where works are entrusted to Agencies other than CPWD: Administrative Approval as well as Tender Approval by the Campus Director/Vice Chancellor within their respective limits will be based on the recommendations of the 'Works Committee' constituted by the Vice Chancellor. (Note: Limits for Tender Approval will be the same as Limits for Administrative Approval)
	1. Works **entrusted to CPWD** out of 'Other than Plan Funds':		
	(i) Up to Rs.1 Crore per item – in respect of Campus works.	Campus Director	
	(ii) If the value of the Campus work is between Rs.1 Crore and Rs.10 Crore per work & in respect of all Headquarters' works up to Rs.10 crore per item	Vice Chancellor.	
	2. Works entrusted to Agencies other than CPWD out of 'Other than Plan Funds':		
	(i) Up to Rs.20 lakhs per work – in respect of Campus works.	Campus Director	
	(ii) If the value of the Campus work is between Rs.20 lakhs and Rs.10 Crore per work & in respect of all Headquarters' works up to Rs.10 crore per item	Vice Chancellor.	
(b)	*Purchase / Upgradation of Equipment, Machinery, Furniture, Computer Hardware and Software, Office Automation and related items under 'Other than Plan Funds'*		1. Specifications for high-value and highly technical items such as Simulators, Equipment, Machinery etc. will be prescribed by the 'High Power Experts Committee' constituted by the Vice Chancellor. 2. The Campus Director will approve the tenders uptoRs. 20 Lakhs based on the recommendation of the 'Purchase Committee' constituted for the Campus by the Vice-Chancellor. 3. The Vice-Chancellor will approve the tendersuptoRs.
	(i) Up to Rs.20 lakhs per item – in respect of Equipment etc. required for Campus.	Campus Director	
	(ii) If the value of the item	Vice Chancellor.	

IndiaCode

	required for Campus is between Rs.20 lakhs and Rs.10 Crore per item & in respect of all Headquarters' items up to Rs.10 crore per item.		10 Crore for IMU Head Quarters based on the recommendation of the 'Purchase Committee' constituted for Head Quarters by the Vice-Chancellor.
(c)	*Repairs and Maintenance of Equipment.*		—
	(i) Up to Rs.50 lakhs per year – in respect of Repairs and Maintenance of Equipment for Campus.	Campus Director	
	(ii) If the value of the Repairs and Maintenance of Equipment for Campus is between Rs.50 lakhs and Rs.5 Crore per year & in respect of all Headquarters' Repairs and Maintenance of Equipment up to Rs.5 crore per year.	Vice Chancellor.	
(d)	*Outsourcing of Services (e.g. Security Guards, Gardening, Housekeeping, Other Manpower, Canteen and Mess, Conduct of Online Common Entrance Tests, Common Recruitment Tests, Online Counselling etc.)*		1. Tender Approval for Outsourcing of Services will be done by the Campus Director/Vice Chancellor within the respective limits based on the recommendation of the 'Purchase Committee' constituted by the Vice Chancellor. (Note: Limits for Tender Approval will be the same as Limits for Administrative Approval). 2. Group Medical Insurance Facility for Staff or students shall be done centrally by IMU Headquarters only.
	(i) Up to Rs.3 Crore per year – in respect of Outsourcing of Services required for Campus.	Campus Director	
	(ii) If the value of the Outsourcing of Services for Campus is between Rs.3 Crore and Rs.15 Crore per year & in respect of all Headquarters' Outsourcing of Services up to Rs.15 crore per year.	Vice Chancellor.	
(e)	*Hospitality, Seminar, Workshops and Convocation.*		—
	(*i) Sponsored Events:* Delegation up to funds received through sponsorship, donation etc. for the event - in respect of a Campus.	Campus Director	
	(ii) Other Events: Up to Rs.5 lakhs per year - in respect of a Campus.	Campus Director	
	(iii) (a) If the value of the Hospitality, Seminar and	*Vice Chancellor.*	

IndiaCode

	Workshops for Campus is between Rs.5 lakhs and Rs.10 Crore per year and (b) If the value of the Hospitality, Seminar, Workshops and Convocation in respect of Headquarters is up to Rs.10 crore per year.		
(f)	*Advertisements*		
	(i) Up to Rs.10 lakhs per year – in respect of advertisements relating to tenders, admissions, recruitments and training only required for Campus	Campus Director	1. Giving of advertisements by Campus Directors for souvenirs brought out by third party agencies; educational supplements brought out by newspapers and magazines; and similar promotional advertisements shall be restricted to Rs.1 lakh per year. 2. Advertisements in newspapers should be as per DAVP Rates. 3. The sizes of advertisements in newspapers should be kept as small as possible and the detailed information should be made available only in IMU's website. 4.Relevant guidelines issued by the Ministry of Information and Broadcasting to be followed.
	ii) If the expenses on advertisements for Campus is between Rs.10 lakhs per year and up to Rs.10 Crore per year & in respect of all Headquarters' advertisement expenses up to Rs.10 crore per year.	Vice Chancellor.	
(g)	*Purchase of Text Books and Course Materials*		
	(i) Up to Rs.1 Crore per year – in respect of purchase of Text Books and Course materials required for Campus.	Campus Director	1. "The Campus Director will approve the tenders upto Rs.1 Crore based on the recommendation of the 'Purchase Committee' constituted for the Campus by the Vice Chancellor. 2. The Vice-Chancellor will approve the tenders upto Rs.10 Crore based on the recommendation of the 'Purchase Committee' constituted by V.C.
	(ii) If the expenses on the purchase of Text Books and Course materials for Campus is between Rs.1 Crore per year and up to Rs.10 Crore per year.	Vice Chancellor.	
(h)	*Vehicle Hiring, Running & Maintenance Expenses.*		
	(i) Up to Rs.50 lakhs per year – in respect of *Vehicle Hiring, Running & Maintenance Expenses* required for Campus.	Campus Director	Purchase of New Vehicles is not allowed except against the condemnation of an old vehicle and with the prior approval of the Vice Chancellor.
	(ii) If the Vehicle Hiring, Running & Maintenance Expenses for Campus is up to Rs.5 Crore per year & in respect of all Headquarters' Vehicle Hiring, Running & Maintenance up to Rs.5 Crore per year.	Vice Chancellor.	

IndiaCode

(i)	*Office-related expenses (including postage, Telecommunication, Printing & Stationery and other such items)*		—
	(i) Up to Rs.1 Crore per year – for Campus.	Campus Director	
	(ii) If the Office related expenses for Campus is between Rs.1 Crore and Rs.10 Crore per year & in respect of all Headquarters' expenses up to Rs.10 Crore per year.	Vice Chancellor.	
(j)	*Leasing in Premises*		
	Due to the highly variable nature of the City, Locality, Type of Building, Area of Building, Amenities provided, Purpose of use, duration of lease, etc. decisions about leasing in premises whether for Office or Residential purposes will be decided by the Executive Council only on the recommendation of the Finance Committee.		
(k)	*Mandatory Payments such as Salaries, Retirement benefits, Taxes, Electricity Charges, Water Charges*		1. The initial Pay and Allowances of all newly recruited regular Teaching and Non-Teaching staff shall be fixed by Vice Chancellor. 2. Appointments/ Reappointments of Teaching and Non-Teaching staff on contract basis and fixation of Remuneration should be for a period not exceeding six months and can be done only with the prior approval of the Vice Chancellor. 3. Expenditure on Visiting Faculty shall be up to the limit prescribed by the Vice-Chancellor on the basis of workload.
	Full Delegation		
	a) In respect of Campus.	Campus Director	
	b) In respect of IMU Hqrs.	Registrar	
C.	**Use of IMU's premises**	No Delegation	All proposals should be submitted to the Finance Committee and Executive Council for approval

General Conditions

1. All the expenditure should be incurred subject to IMU norms and the approved Budget allocations.

2. All items beyond the powers delegated to the Vice-Chancellor should be placed before the Finance Committee and Executive Council

3. Campus Directors should incur expenditure within the delegated powers only. No ratification proposals will be entertained.

4. If there is any item of expenditure not covered by the above Table or if there is any ambiguity or lack of clarity about any item, Campus Directors/ Registrar shall seek clarification from the Vice Chancellor before incurring the expenditure.

5. If any specific instances of misuse of the delegated powers in respect of one or more items of expenditure in any Campus comes to the notice of the Vice Chancellor, he shall be at liberty to suspend the operation of the delegated power(s) in respect of the specific item(s) of expenditure for the specific Campus, and report the matter to the next meeting of the Finance Committee and Executive Council for necessary action.

6. The Assistant Registrar (Finance) of a Campus shall be under the administrative control of the Campus Director and the technical control of the Finance Officer. All Campus files involving financial commitment should necessarily be routed through the Assistant Registrar (Finance) and should normally have his concurrence. The Campus Director has the power to overrule the Assistant Registrar (Finance) in exceptional circumstances but only after recording the reasons thereof in writing. In all such cases, the Assistant Registrar (Finance) shall submit a report to the Finance Officer directly within 3 working days.

Ordinance 63 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-12 dated 23-12-2015]

Ordinance prescribing the composition of the School of Allied Studies.

1. The Indian Maritime University shall have a School of Allied Studies, the composition of which shall be as under:

(i) Vice Chancellor – Chairman (Ex-Officio).

(ii) Deans of the Schools of Marine Engineering & Technology, Nautical Studies, Naval Architecture & Ocean Engineering, Maritime Management - Members (ex-officio).

(iii) One Faculty from each School of Studies not below the rank of Associate Professor nominated by the Vice Chancellor - Members.

(iv) Four Faculty from the Affiliated Institutes (from different disciplines) nominated by the Vice Chancellor - Members.

(v) Six external experts representing Teaching, Research and Industry nominated by the Academic Council out of a panel of 12 names proposed by the Vice Chancellor - Members.

2. The term of the office of the nominated members shall be 3 years and they shall be eligible for re-nomination.

3. The functions of the School of Allied Studies shall be:

(i) Propose guidelines and regulations for such Certificate, Diploma, PG Diploma and PG Degree courses as may be assigned to it by the Vice Chancellor.

(ii) Development of curricula, syllabi and supporting course materials for such Certificate, Diploma, PG Diploma and PG Degree courses.

(iii) Perform such other functions as assigned to it by the Academic Council and the Executive Council from time to time.

4. The meetings of the Board shall be held at least twice a year.

5. The quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total members.

6. Notice for a meeting of the Board shall be issued at least ten days before the date fixed for the meeting.

7. The Board may determine its own procedures for working."

IndiaCode

Ordinance 64 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-13 dated 23-12-2015]

Ordinance prescribing the composition of the Board of Affiliation and Recognition

Board of Affiliation and Recognition

The Board of Affiliation and Recognition (BAR) would be placed in the Headquarters of IMU at Chennai and will have the following members:

1. Vice Chancellor- Chairperson
2. Pro–Vice Chancellor
3. Registrar
4. Two representatives from any of the Campuses who are experts in the field to be nominated by the Vice Chancellor.
5. Two representatives of the Director General of Shipping, one each from Nautical and Engineering branches to be nominated by him with the consent of the Vice Chancellor.
6. Two experts from the industry to be nominated by Academic Council.

The Registrar is the Member-Secretary of the BAR.

The term of the nominated members shall be 3 years from the date of nomination.

Ordinance 65 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-15 dated 23-12-2015]

Ordinance prescribing the Semester Fees and Penalty payable by students of IMU Campuses

Semester Fees and Penalty payable by the Students of IMU Campuses

1. The Semester Fees payable by the students of the Campuses of the Indian Maritime University shall be as prescribed by the Executive Council from time to time. The Semester Fees that will be applicable to students of IMU joining from the Academic Year 2016-17onwards shall be as follows:

Fees Payable by Students for various Programmes in IMU

Programme	Student Gender	Total Fees for an Academic Year	Fee Payable per Semester		
			Odd Semester		*Even Semester*
			Programme Fee	Semester Fee	Semester Fee
B.Tech (Marine Engineering)	Male	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-
	Female	1,45,000/-		60,000/-	60,000/-
B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	Male	2,25,000/-	25,000/	1,00,000/-	1,00,000/-
	Female				
B.Sc.(Nautical Science)	Male	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	Female	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
B.Sc.(Maritime Science)	Male	2,20,000/-	25,000/-	97,500/-	97,500/-
	Female	1,40,000/-		57,500/-	57,500/-
B.Sc (Ship Building and Repair)	Male	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/
	Female				
M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	Male	2,25,000/	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
	Female			1,00,000/-	1,00,000/
M.Tech (Dredging &Harbour Engineering)	Male	2,25,000/-	25,000/-	1,00,000/-	1,00,000/
	Female			1,00,000/-	1,00,000/
MBA (International Transportation & Logistics	Male	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	Female				
MBA (Port & Shipping Management)	Male	2,00,000/-	25,000/-	87,500/-	87,500/-
	Female				
PGDME	Male	3,50,000/-	25,000/-	1,62,500/-	1,62,500/-
	Female	2,50,000/-		1,12,500/-	1,12,500/-

IndiaCode

2. The Semester Fees - depending upon the Programme - will normally include some or all of the following: Tuition Fee (inclusive of Library Fee, Laboratory Fee, Workshop Fee, Industrial Visit Fee, Extra-curricular activities Fee, Medical Fee, etc.), Mess Charges, Lodging Charges, Hair-cut Charges, Laundry Charges, cost of Uniform, cost of Books and so on. They do not include the interest free, one-time Caution Deposit of Rs.20,000collected at the time of admission.

3. The University reserves the right to prescribe higher Semester Fees for students admitted under the Non-Resident Indians/Persons of Indian Origin/Foreign Nationals categories.

4. The Semester fees shall be payable through State Bank of India's I-Collect or through any Electronic/Online mode of transfer of funds or in such other manner as may be prescribed by the University.

5. For the first semester of any Programme, the full Semester Fees relating to the semester shall be collected before admitting the student. *No student shall be admitted to any Programme in any Campus unless the Semester Fees relating to the first semester have been paid in full.*

6. From the second semester *onwards*, the Semester Fees shall be due on the opening day of the semester.

7. If the Semester Fees are paid in full within 15 days of the opening day of the semester there shall be no penalty.

8. The penalty for late payment of the Semester Fees between the 16th day & the 45th day from the opening day of the semester shall be @Rs.200/- per day *even if the Semester Fees had been paid in part within 15 days*.

9. It shall be the responsibility of the Campus Director to ensure the full and timely collection of the Semester Fees from the students. He shall display on the Notice Board of the Department as well as the Hostel, the list of defaulters who did not pay their Semester fees in full within 15 days. He shall further give individual notices *in writing* not only to the defaulters but also their parents warning them that the defaulters' names are liable to be removed from the University rolls and that they are liable to be expelled from the hostel if they do not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full before 45 days of the opening day of the semester.

10. If any part of the Semester Fees together with the Penalty payable remains unpaid even after 45 days from the opening day of the semester, *the names of the defaulters shall be removed from the rolls of the University and they shall be expelled from the hostel with effect from the 46th day.* It shall be the responsibility of the Campus Director to ensure the same.

11. The defaulting student may be permitted to rejoin the semester if, between the 46thand the 75th day from the opening day of the semester, he pays the Semester Fees together with the Penalty payable in full and further pays a re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/-. The student shall be solely responsible for any shortfall of attendance due to this break.

12. If the defaulting student fails to avail of even this window of opportunity and does not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full along with the re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/- within 75 days from the opening day of the semester, then the student will have to suffer a break in study and re-join the same semester in the following academic year provided he clears all the pending dues in full and after obtaining the prior permission in writing from the University.

13. The University reserves the right to initiate legal action for recovery of the pending dues from the student as well as his parents, and to withhold his original certificates until such time as the dues are fully cleared.

14. If a student after paying his Admission Registration Fee and Programme Fee does not report at the Campus to join the Programme in the first semester within the time prescribed, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration Fee and the Programme Fee under any circumstances.

15. If a student after paying his Admission Registration Fee, Programme Fee and the Semester Fees for the first semester withdraws from the University, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration fee, Programme Fee and the Semester Fees paid by him under any circumstances.

16. If a student withdraws from the University in the middle of any other semester, then he shall not be entitled to the refund of theProgramme Fee and Semester Fees paid by him under any circumstances. However, the Caution deposit is refundable, on an application from the student, after deducting all the dues against him.

17. Notwithstanding what is stated above, no student shall be allowed to appear in the end-semester examination unless he has cleared all his dues, paid the prescribed Examination Fee, and produced a 'No dues' certificate."

Ordinance 66 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-16 dated 23-12-2015]

Ordinance for Automatic Disaffiliation of Affiliated Institutes which have not admitted a single student for a given number of years.

Action to be taken against Affiliated Institutes which fail to admit even a single student for a given period

If an Affiliated Institute fails to admit even a single student to any Programme of study for three years in a row (or for four years in a row in respect of Programmes having duration of 4 years), then IMU's affiliation for the Programme concerned shall automatically lapse at the end of the 3-year period (or 4-year period as the case may be). This is necessary since the Faculty will not normally be retained/ utilised and the buildings and equipment would have deteriorated during this period. The affiliation maybe revived on a request received from the Institute, but it will be treated as a *fresh application* and will have to conform with all the procedures and requirements prescribed for grant of new affiliation including payment of Initial Affiliation Fee and all other fees as applicable, and after due inspection.

Ordinance 67 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-17 dated 23-12-2015]

Ordinance prescribing an Annual Return to be submitted by Affiliated Institutes to IMU.

Annual Return to be submitted by Affiliated Institutes to IMU.

Every Affiliated Institute shall submit an Annual Return to IMU in the prescribed format before the 30th of September each year. Any Affiliated Institute which fails to submit the above return or furnishes a false return shall be liable for disciplinary action which may include the withholding of Hall Tickets/Examination Results and in extreme cases, disaffiliation of the Institute.

FORMAT OF THE ANNUAL RETURN TO BE SUBMITTED BY AFFILIATED INSTITUTES TO IMU BEFORE 30TH SEPTEMBER OF EVERY YEAR

1. Name, Address and the Contact details of the Affiliated Institute:

2. Name, Address and the Contact details of the Principal:

3. Name, Address and the Contact Details of the Chairman of the Governing Body/Management Committee of the Affiliated Institute:

4. Details of the Land in which the Institute is situated:

 (a) Total Area (in acres):

 (b) Whether owned/leased:

 (c) If leased, period of the lease:

 (d) Built-up Area (in acres):

5. Details of various Programmes approved by DG Shipping:

IndiaCode

Name of Programme	D.G. Shipping Approval		
	Year of Approval	Ref No. and date	Sanctioned Intake

6. Details of various Programmes affiliated with IMU:

Name of Programme	Affiliation with IMU			
	Year of Approval	Ref. No. and date	Sanctioned Intake	Continuation Fee paid up to which year

7. Details of Admissions to various Programmes *affiliated with IMU* since inception:

Name of Programme	Academic Year	No. of Students Admitted	No. of Drop Outs	No. of Students who have completed the Course and passed out

8. Programme-wise details of Faculty employed and working:

Name of the Programme	Name of the Faculty & Designation	Qualifications	Whether Permanent/ Temporary/ Contract	Date from which working

9. Details of Sponsorships in case of DNS leading to B.Sc (Applied Nautical Science) Programme from 2012-13 onwards (if applicable):

Academic Year	Batch	Name & Address of the Sponsoring Agency	Number of On-board Training Slots tied-up	Number of Students Actually placed
	Feb			
	Aug			

10. Whether the Institute is affiliated with any other University *for the same Programmes that it is currently affiliated with IMU*: Yes/ No

If 'Yes', Year in which affiliation was obtained:

Please provide the admission details as shown below:

Name of Programme	Academic Year	Sanctioned Intake	No. of Students Admitted

IndiaCode

I /We certify that all the particulars furnished above are true and correct and based on documentary evidence.

Date: **(Signature of Principal)**

Place: **Name and Designation with Official Seal**

Ordinance 68 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-18 dated 23-12-2015]

Ordinances prescribing the Qualifications required for the Teaching Staff and Principals of Affiliated Institutes,

I. Qualifications for FACULTY in the School of Nautical Studies in Affiliated Institutes

(1)	Nameof post	All Posts of Faculty
(2)	Modeof Appointment	By DirectRecruitment
(3)	Educationalqualifications required	(a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency; (b) Sailingexperience for a minimum period ofsix months atManagement level within themeaningofSTCWConvention in force; and (c) A pass in the Eligibility Test conducted by IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from the Eligibility Test.
(4)	Age of superannuation	65 years.
(5)	Remarks	(a) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. (b) IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final.

		(c) Assistant Professors who are in service in Affiliated Institutes as on 01.01.2016, and who fulfil the qualifications indicated in Row 3(a) and (b) above are exempted from the Eligibility Test prescribed in Row 3(c)

II. Qualifications for FACULTY in the School of Marine Engineering and Technology in Affiliated Institutes

(1)	Name of post	All Posts of Faculty
(2)	Mode of Appointment	By Direct Recruitment
(3)	Educational qualifications required	(a) MEO Class – I (Motor) Certificate of Competency; (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and (c) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU. Candidates with a Ph.D in a relevant discipline are exempted from the Eligibility Test.
(4)	Age of superannuation	65 years.
(5)	Remarks	(a) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. (b) IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final. (c) Assistant Professors who are in service in Affiliated Institutes as on 01.01.2016, and who fulfil the qualifications indicated in Row 3(a) and (b) above are exempted from the Eligibility Test prescribed in Row 3(c)

III. Qualifications for PRINCIPALS in Affiliated Institutes

(1)	Name of post	Principal
(2)	Mode of Appointment	By Direct Recruitment or Promotion
(3)	Educational and other qualifications required	*Category I – From Mariners without Ph.D* (a) Master(Foreign Going) Certificate of Competency/MEO Class – I (Motor) Certificate of Competency; and (b) Sailing experience for a minimum period of two years at Management level with in the meaning of STCW Convention in force; and (c) A minimum of ten years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above], (ii) Teaching Nautical Science/ Marine Engineering in a recognised maritime institution, (iii) Nautical Surveyor/ Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society, (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company, (v) Pilot in a Major Port. [or] *Category II - From Mariners with Ph.D* (a) Master (Foreign Going) Certificate of Competency/MEO Class – I (Motor) Certificate of Competency; and (b) Sailing experience for a minimum period of six months at Management level with in the meaning of STCW Convention in force; and

		(c) A minimum of eight years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas: (i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above], (ii) Teaching Nautical Science/ Marine Engineering in a recognised maritime institution, (iii) Nautical Surveyor/ Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society. (iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company, (v) Pilot in a Major Port.
(4)	Age of superannuation	65 years.
(5)	Remarks	(a) Sailing experience is to be reckoned from the entries related to sign-on and sign-off from on-boardships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. (b) IMU's decision as to - (i) whether the Ph.D is in the relevant discipline; (ii) whether the experience put in a Ship-owning or Ship-managing company or a maritime training institute should be counted or not; shall be final. (c) The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service. (d) If the Affiliated Institute is offering Programmes only from the School of Nautical Studies or the School of Marine Engineering and Technology, then the Principal should be qualified in the respective discipline. (e) If the Affiliated Institute is offering Programmes from the School of Nautical Studies as well as the School of Marine Engineering and Technology, then the Principal can be qualified in either discipline.

Ordinance 69 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-19 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor in the School of Naval Architecture & Ocean Engineering

(1)	Nameof post	Assistant Professor
(2)	No.ofposts	4
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600–39100 withAGPRs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance.
(5)	Whether Selectionpostor Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 35 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	**Essential:** (a) Good academic record with at least 55% marks (or equivalent grade) in Post-Graduate Degree in Naval Architecture and

		Ocean Engineering/ Naval Architecture and Ship Building, and with a Graduate degree in Naval Architecture and Ocean Engineering /Naval Architecture and Ship Building – both from IMU and/or any University recognised by IMU. (b) A pass in the Eligibility Test conducted by the IMU. Candidates with a Ph.D. in Naval Architecture and Ocean Engineering/Naval Architecture and Ship Building from IMU and/or any University recognised by IMU are exempted from the Eligibility Test.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Periodof Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/Transfer, grades from which romotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	The Selection Committee will consist of : (i) Vice Chancellor (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professortobenominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominatedby the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, orinterest in the subject with which the Assistant Professoris concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. In respect of eligible candidates who are residing outside India, IMU reserves the right to conduct the interview through Video Conferencing or equivalent. 2. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ ST/ OBC/ Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 3. Thecrucial datefor determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

indiacode

Ordinance 70 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-19 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor in the School of Naval Architecture & Ocean Engineering

(1)	Name of post	Associate Professor
(2)	No. of posts	4
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400– 67000 with A GP Rs.9000.

(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selectionin case of Promotion
(6)	Age limit for Direct Recruitment	Notexceeding 45years. (Relaxableby the Vice Chancell or up to2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	**Essential**: (a) Ph.D in Naval Architecture or Ship Building or a related field, and with at least 55% marks (or equivalent grade) in a Post-Graduate Degree in Naval Architecture and Ocean Engineering/Naval Architecture and Ship Building, and with a Graduate degree in Naval Architecture and Ocean Engineering /Naval Architecture and Ship Building– all from IMU and/or any University recognised by IMU. (b) A minimum of eight years of experience of teaching and/or research (in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor) in a University, College or Accredited Research Institution/ industry. Evidence of published work with a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. (or) A minimum of 12 years' professional experience in design and/or construction in a reputed ship building industry in a management position equivalent to the post of Assistant Professor or above in a University. Evidence of published work with a minimum of 1 publication as book and/or research/policy paper in a refereed journal. **Desirable**: (i) Papers presented at conferences. (ii) Evidence of having guided Doctoral candidates and research students.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications: Yes
(9)	Periodof Probation, if any	Twoyearsfor Direct Recruitment.
(10)	MethodofRecruitment	DirectRecruitment / Promotion / Deputation/Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Associate Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	Incaseof Promotion, grade from which promotion to be made	An Assistant Professor who has completed 3 years of teaching in the AGP of Rs. 8,000 shall, subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee be eligible to move to the pay band of Rs.37,400–67,000withAGP Rs.9,000 and to be designated as Associate Professor.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	The Selection Committee/Departmental Promotion Committeewillconsistof: (i) Vice Chancellor (ii) Pro-Vice Chancell or (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for

		their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service. 2. In respect of eligible candidates who are residing outside India, IMU reserves the right to conduct the interview through Video Conferencing or equivalent. 3. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date fo rreceipt of applications from candidates.

Ordinance 71 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-19 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the post of Professor in the School of Naval Architecture & Ocean Engineering

(1)	Nameof post	Professor
(2)	No.ofposts	2
(3)	Classification	Faculty
(4)	ScaleofPay	PayBand-4; Rs.37,400–67,000 withAGPRs.10,000.
(5)	WhetherSelection postorNon- selectionpost	NotApplicable forDirect Recruitment. By Selection in case of Promotion.
(6)	Agelimitfordirect recruitment	Notexceeding55 years. (RelaxablebyViceChancellor up to2 yearsindeserving cases)
(7)	Educationalandotherqualificationsrequired fordirectrecruitment	(a) An eminent scholar with Ph.D in Naval Architecture or Ship Building or a related field, and with at least 55% marks (or equivalent grade) in a Post-Graduate Degree in Naval Architecture and Ocean Engineering/Naval Architecture and Ship Building. (b) A minimum of ten years of experience in teaching and/or research, out of which at least 5 years at the level of Associate Professor or equivalent, in a University, College or Accredited Research Institution/industry. Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. Experience of guiding candidates for research at Doctoral level is essential. (or) A minimum of 15 years' professional experience in Shipping/Port/Logistics industry in a management position out of which at least 5 years should be in a post equivalent to Associate Professor in a University. Evidence of published work with a minimum of 3 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. Experience of guiding candidates for research at Doctoral level is desirable.

(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educationalandother qualifications:Yes
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation/Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of promotion, grade from which to be made	(e) A Ph.D. Degree in Naval Architecture and Ocean Engineering/ Naval Architecture and Ship Building offered by IMU or by any University recognised by IMU; and (f) Six years of experience as Associate Professor in IMU. (g) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. (h) Experience of guiding candidates for research at Doctoral level is essential. (i) Subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	The Selection Committee will consist of : (i) Vice Chancellor (ii) Pro Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of theDepartment concerned, if he is a Professor. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of,or interest in the subject with which the Professoris concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any three members of the following four - Visitor's nominee plus the three nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	1. The time taken for obtaining full-time Ph.D will not be counted for the qualifying service. 2. In respect of eligible candidates who are residing outside India, IMU reserves the right to conduct the interview through Video Conferencing or equivalent. 3. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC / ST / OBC / Physically Handicapped candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. 4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Ordinance 72 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-20 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the posts of Assistant Professor (Economics) in the School of Maritime Management

(1)	Name of post	Assistant Professor (Economics)
(2)	No. of posts	1

(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band - 3 Rs. 15600 – 39100 with AGP Rs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance.
(5)	Whether Selectionpostor Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxableby Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	**Essential:** (a) Good academic record with a Graduate degree in Economics, and at least 55% marks (or equivalent grade) in Post-Graduate Degree in Economics from a recognised Indian University or from an accredited foreign University. (b) A pass in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or similar test accredited by the UGC like the State Level Eligibility Test (SLET/SET) in Economics. Candidates with a Ph. D. in Economics shall be exempted from the requirement of clearing the NET/SLET/SET.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transferto bemade.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	(i) Vice Chancellor - Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professoris concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	(a) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 73 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-20 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the posts of Assistant Professor (Finance & Accounting) in the School of Maritime Management

(1)	Name of post	Assistant Professor (Finance & Accounting)
(2)	No. of posts	1

(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band - 3 Rs. 15600 – 39100 with AGP Rs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	(a) Good academic record with B.Com at the Graduate level and with either CA/ICWA or with at least 55% marks or equivalent grade in M.Com from a recognised Indian University or from an accredited foreign University. (b) A pass in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or similar test accredited by the UGC like the State Level Eligibility Test (SLET/SET) in Commerce. (c) Candidates with Ph.D in Commerce/Finance/Accounting shall be exempted from the requirement of clearing the NET/SLET/SET.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits wil lapply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/ Transferto bemade.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	(i) Vice Chancellor - Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professoris concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	(a) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ ST/ OBC/ Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be theclosing date for receipt of applications from candidates.

IndiaCode

Ordinance 74 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-20 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the posts of Assistant Professor (Logistics & Supply Chain Management/Port & Shipping Management) in the School of Maritime Management

(1)	Name of post	Assistant Professor (Logistics & Supply Chain Management/ Port & Shipping Management)
(2)	No. of posts	2
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band - 3 Rs. 15600 – 39100 with AGP Rs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	NotApplicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	**Essential:** (a) Good academic record with B.Com/BBA/B.E/B.Tech at the Graduate level and with either CA/ICWA or with at least 55% marks or equivalent grade at the Post-Graduate Degree level i.e. MBA (International Transport & Logistics)/ MBA (Port & Shipping Management) or an equivalent MBA from a recognised Indian University/Institution or from an accredited foreign University. (b) A pass in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or similar test accredited by the UGC like the State Level Eligibility Test (SLET/SET) in Management. (c) Candidates with Ph.D in Management shall be exempted from the requirement of clearing the NET/SLET/SET.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/Transfer, grades from which romotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	(i) Vice Chancellor - Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professoris concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.

(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	(a) Regarding the equivalence of the MBA Degree, IMU's decision shall be final. (b) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ ST/ OBC/ Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (c) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receiptof applications from candidates.

Ordinance 75 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-20 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the posts of Associate Professor (Economics/ Finance & Accounting) in the School of Maritime Management

(1)	Name of post	Associate Professor (Economics/ Finance & Accounting)
(2)	No. of posts	1
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs. 37400– 67000 with AGP Rs.9000.
(5)	Whether Selectionpostor Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selectionin case of Promotion
(6)	Age limit for Direct Recruitment	Not exceeding 45 years. (Relaxableby the Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	**Essential**: (a) Good academic record with a Graduate degree in Economics, and with at least 55% marks (or equivalent grade) in a Post-Graduate Degree in Economics, and with Ph.D. in Economics from a recognised Indian University or from an accredited foreign University. (or) Good academic record with B.Com at the Graduate level, and with either CA/ICWA or with at least 55% marks or equivalent grade in M.Com, and with Ph.D. in Commerce/ Finance/Accounting from a recognised Indian University or from an accredited foreign University. And (b) Minimum of eight years of experience in teaching and/or research in an Academic/ research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/ industry. Evidence of published work with a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. **Desirable**: (i) Papers presented at conferences. (ii) Evidence of having guided Doctoral candidates and research students.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications: Yes
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.

(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation /Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Associate Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	Incaseof Promotion, grade from which promotion to be made	An Assistant Professor who has completed 3 years of teaching in the AGP of Rs.8,000 shall, subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee be eligible to move to the pay band of Rs.37,400–67,000 with AGP Rs.9,000 and to be designated as Associate Professor.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	(i) Vice Chancellor - Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	(a) The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service. (b)The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (c)The rucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

Importable

Ordinance 76 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-20 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the posts of Associate Professor (Logistics & Supply Chain Management /Port & Shipping Management) in the School of Maritime Management

(1)	Name of post	Associate Professor (Logistics & Supply Chain Management / Port & Shipping Management)
(2)	No. of posts	2
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400– 67000 with AGP Rs.9000.
(5)	Whether Selectionpostor Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selectionin caseof Promotion
(6)	Age limit for Direct Recruitment	Not exceeding 45 years. (Relaxable by the Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	**Essential**: (a) Good academic record with B.Com/BBA/B.E/B.Tech at the Graduate level and with either CA/ICWA or with at

		least 55% marks or equivalent grade at the Post-Graduate Degree level i.e. MBA (International Transport & Logistics)/ MBA (Port & Shipping Management) or an equivalent MBA, and with Ph.D. Degree in relevant field - all from an Indian University or from an accredited foreign foreign University and (b) Minimum of eight years of experience in teaching and/or research in an Academic/ research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/ industry. Evidence of published work with a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. (or) A minimum of 12 years of professional experience in Shipping and/or Port and/or Logistics industry in a management position equivalent to Assistant Professor or above in a University. Evidence of published work with a minimum of 1 publication as book and/or research/policy paper in a refereed journal. **Desirable:** (i) Papers presented at conferences. (ii) Evidence of having guided Doctoral candidates and research students.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications: Yes
(9)	Period of Probation, if any	Twoyearsfor Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation /Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Associate Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of Promotion, grade from which promotion to be made	An Assistant Professor who has completed 3 years of teaching in the AGP of Rs.8,000 shall, subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee be eligible to move to the pay band of Rs.37,400–67,000withAGP Rs.9,000 and to be designated as Associate Professor.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	(i) Vice Chancellor - Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	(a) IMU's decision as to whether the MBA is equivalent or Ph.D is in the relevant field shall be final. (b) The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service.

IndiaCode

		(c) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (d) The crucial date for determining the eligibility conditionsshallbe theclosing dateforreceiptof applications fromcandidates.

Ordinance 77 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-20 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the post of Professor (Economics / Finance & Accounting) in the School of Maritime Management

(1)	Name of post	Professor (Economics / Finance & Accounting)
(2)	No. of posts	1
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4; Rs.37,400–67,000 with AGP Rs.10,000.
(5)	Whether Selection postor Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selection in case of Promotion.
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 55 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruitment	(a) Good academic record with a Graduate degree in Economics, and with at least 55% marks (or equivalent grade) in a Post-Graduate Degree in Economics, and with Ph.D. in Economics from a recognised Indian University or from an accredited foreign University. (or) Good academic record with B.Com at the Graduate level, and with either CA/ICWA or with at least 55% marks or equivalent grade in M.Com, and with Ph.D. in Commerce/ Finance/Accounting from a recognised Indian University or from an accredited foreign University. And (b) A minimum of ten years of experience in teaching and/or research, out of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor or equivalent, in a University, College or Accredited Research Institution/industry. Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. Experience of guiding candidates for research at Doctoral level is essential.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications: Yes
(9)	Period of Probation,if any	Twoyears for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment / Promotion / Deputation /Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of promotion, grade from which to be made	(a) A Ph.D. Degree in relevant discipline offered by IMU or by any University recognized by IMU; and (b) Six years of experience as Associate Professor in IMU. (c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals.

		(d) Subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee. (e) Guidance of students at P.G or Ph.D level.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	(i) Vice Chancellor - Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	(a) The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service. (b)The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC / ST / OBC / Physically Handicapped candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (c) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications fromcandidates.

Ordinance 78 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-20 dated 23-12-2015]

Recruitment Rules for the post of Professor (Logistics and Supply Chain Management/Port and Shipping Management) in the School of Maritime Management

(1)	Name of post	Professor (Logistics and Supply Chain Management/Port and Shipping Management)
(2)	No. of posts	1
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4; Rs.37,400–67,000 with AGP Rs.10,000.
(5)	Whether Selection postor Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selection in case of Promotion.
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 55 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruitment	**Essential:** (a) Good academic record with B.Com/BBA/B.E/B.Tech at the Graduate level and with either CA/ICWA or with at least 55% marks or equivalent grade at the Post-Graduate Degree level i.e. MBA (International Transport & Logistics)/ MBA (Port & Shipping Management) or an equivalent MBA, and with Ph.D. Degree in relevant field - all from an Indian University or from an accredited foreign University and

		(b) A minimum of ten years of experience in teaching and/or research, out of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor or equivalent, in a University, College or Accredited Research Institution/industry. Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. Experience of guiding candidates for research at Doctoral level is *essential.* (or) A minimum of 15 years of professional experience in Shipping and/or Port and/or Logistics industry in a management position, out of which at least 5 years should be in a post equivalent to Associate Professor in a University. Evidence of published work with a minimum of 3 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. Experience of guiding candidates for research at Doctoral level is desirable.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications:Yes
(9)	Periodof Probation,if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	MethodofRecruitment	DirectRecruitment / Promotion / Deputation /Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of promotion, grade from which to be made	(a) APh.D.Degree in relevant discipline offered by IMU or by any University recognized by IMU; and (b) Six years of experience as Associate Professor in IMU. (c) Evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers in refereed journals. (d) Subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee. (e) Guidance of students at P.G or Ph.D level.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	(i) Vice Chancellor - Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of theVisitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	(a) IMU's decision as to whether the MBA is equivalent or Ph.D is in the relevant field shall be final. (b) The time taken for obtaining full-time Ph.D degree will not be counted for the qualifying service. (c) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Physically Handicapped

		candidates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. (d) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date fo rreceipt of applications from candidates.

Ordinance 79 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-21 dated 23-12-2015
amended vide EC 2016-34-24 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant Librarian

1	Name of the Post	Assistant Librarian
2	Number of Posts	6
3	Classification	Academic Post, Group "A"
4	Scale of Pay	PB3 - Rs.15600 – 39100 GP – Rs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Librarian, subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance.
5	Whether selection post or non-selection post	By Selection in case of Promotion
6	Age limit for direct recruits	Age: Not more than 40 years (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	(i) A Post-Graduate Degree in Library Science/ Information Science/ Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or equivalent grade) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library. (ii) Qualifying in the National Eligibility Test (NET) in Library Science conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. However, candidates who have been awarded Ph.D. in Library Science/ Information Science/ Documentation Science shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of NET; and (iii) At least 3 years of experience as Library Assistant or higher in any University/ recognised collegeor a reputed Public Library. (iv) Experience of working in any Library Automation Software.
8	Whether Age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotion/Deputation/Absorption	**Promotion:** Age: No Educational & other Qualifications: Yes **Deputation:** Age: Not more than 45 years Educational & other Qualifications: Yes **Absorption:** Age: Not more than 50 years Educational & other Qualifications: Yes

9	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruits
10	Method of recruitment.	Direct Recruitment /Promotion/Deputation/ Absorption. Direct Recruitment will be done from among NET/SLET qualified candidates through Personal Interview.
		A pass in NET/SLET is necessary even in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
11	In case of recruitments by promotion, grade from which promotion / deputation / absorption to be made	**Promotion:** From Library Assistant fulfilling the educational qualifications with at least 10 years of regular service in IMU.
		Deputation: A person holding analogous post on regular basis (or) at least 10 years' experience as Library Assistant in the Pay Band of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200 in a Central/State University or Autonomous Educational/ Research Institution, Central/State Government or Government undertaking, Port Trust etc.
		Absorption: A Deputationist who has worked as Assistant Librarian satisfactorily for a minimum period of 3 years in IMU, subject to concurrence from his parent organization.
12	If a Departmental Promotion Committee/ Recruitment Committee exist and what is its composition?	(i) The Vice Cancellor as Chairperson. (ii) Pro-Vice Chancellor. (iii) One nominee of the Executive Council. (iv)Two external subject experts nominated by the Vice Chancellor.
13	Age of superannuation	60 years.
		For Deputationist, the relevant age of the sponsoring department/ agency will apply.
14	Remarks	(a) The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time. (b) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.

indiacode

Ordinance 80 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-27 dated 23-12-2015]

Ordinance on 'Performance-based Reward for the Meritorious students of Indian Maritime University Campuses.

Performance-based Reward for students of IMU Campuses.

1. The 'Performance-based Reward' Scheme is applicable to students of IMU Campuses only, and is aimed at motivating the students to continue to perform meritoriously from semester to semester; to maintain discipline and good conduct; and to reduce the bank loan burden of meritorious students.
2. As it is a reward, it will be based purely on *academic performance* and will *not* be linked to economic means.
3. As it is a reward for pure merit, it will not be a bar to a student getting any scholarship/freeship/studentship/ fellowship, etc. from any other source.
4. It will be *for a semester only,* based on the academic performance in the immediate previous semester examination. It follows that the reward will not be given in the first semester of any programme; it will be given from the second semester onwards.

5. It will apply only to UG and PG *Degree* programmes of duration 2 years or more. Thus 1-year Diploma programmes Diploma in Nautical Science (DNS) and Post Graduate Diploma in Marine Engineering (PGDME) will not be covered by it.

6. At the time of grant, the student should not have any arrear papers relating to the immediate previous semester examination or the earlier semester examinations.

7. Any student who has suffered any punishment for ragging or examination malpractices shall be permanently ineligible for this reward. A 'NOC' from the Campus Directors shall be obtained in this regard.

8. Based on the results of the immediate previous semester examination, the *top rankers* in each batch in all UG as well as PG Degree Programmes will get a 'Performance-based Reward' of Rs.1 lakh per head subject to their getting at least 75% marks overall and subject to other conditions prescribed above.

9. The total number of candidates in the order of merit (other than the 'toppers') who will get a 'Performance-based Reward' of Rs.75,000/- per head in each batch in each programme will be as per the Table below:

Sl.No.	**Name of the Programme**	**Duration (Years)**	**No. of Semesters for which Performance-based Reward will be given**	**Total No. of Students who will be given Rs.75000/- Performance-based Reward in each Batch**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
UG Programmes				
1	B.Tech (Marine Engineering)	4	7	**30**
2	B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	4	7	**4**
2	B.Sc (Nautical Science)	3	5	**16**
3	B.Sc (Maritime Science)	3	5	**2**
4	B.Sc (Ship Building and Repair)	3	5	**2**
Total				**54**
PG Programmes				
1	M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering) &M.Tech (Dredging and Harbour Engineering)	2	3	**2**
3	MBA (Port and Shipping Management) & MBA (International Transportation and Logistics)	2	3	**7**
Total				**9**
Grand Total				**63**

IndiaCode

10. For both types of 'Performance-based Rewards', the two MBA programmes which have a large number of common papers will be treated as a single 'programme'; so also the two M.Tech programmes.

11. To be eligible for the 'Performance-based Reward' of Rs.75,000/- per head, the students should get at least 75% marks overall and subject to the other conditions prescribed above.

12. For determining the 'toppers' and the other rewardees, the University as a whole shall be treated as the unit; not the individual Campuses.

13. In the event of a 'tie' for 'topper' all the students will get the reward. In the event of a 'tie' for the award of the Performance-based Reward of Rs.75,000/- per head, the 'tie' shall be resolved by arranging the students in the descending order of the *total external examination marks for Theory papers* of the particular semester. If there is still a 'tie' the same shall be resolved by arranging the students in the descending order of *percentage of attendance* for that semester.

14. The student is not entitled to set off his eligible 'Performance-based Reward amount' against his semester fees and other dues payable to IMU. However IMU reserves the right to recover any of its dues from the student out of his'Performance-based reward'.

15. This scheme will come into effect from the December, 2015 examination of the academic year 2015-16.

S.V. DURGA PRASAD, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./180(92)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.